45वीं वार्षिक प्रतिवेदन
2014-2015

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

fo"k; lwph

	पृष्ठ संख्या
निदेशक बोर्ड	3
संदर्भ सूचना	4
गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति	5
अध्यक्ष का उद्‌बोधन	6
सूचना	9
निदेशकों की निम्नलिखित के साथ रिपोर्ट :	16
■ प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	32
■ निगम शासन पर रिपोर्ट	38
■ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट	55
■ संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/ इन्तजामों जिसके अंतर्गत–(एओसी–2)	60
■ वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9)	61
■ सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कंपनी का सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रत्युत्तर	68
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	74
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी का प्रत्युत्तर	82
वित्तीय विवरिणयां	88
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	91
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	96
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	115

मिशन/ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कंपनी बनना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

उद्देश्य

1. नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादिक ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

fun'kd ckMl

Jh ,l ih ,l cD'kh
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

Jh ohu xkiky
निदेशक (परियोजनाएं)

Jh ,-oh-oh- —".ku
निदेशक (वित्त)

Jh vkj- d- fl g
अंशकालिक शासकीय
निदेशक

Jh ,l- ,l- nc
अंशकालिक शासकीय
निदेशक

Mk- d- ,l- jko
स्वंतत्र निदेशक

l nHk l puk

i th–r dk;ky;

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन नं : 91-11-24361666
फैक्स : 91-11-24363426
ई-मेलः epico@epi.gov.in
वेबसाइटः www.epi.gov.in

{k=h; dk;ky;

iohZ {k=h; dk;ky; & dkydkrk
50, चौरंगी रोड,
(8वीं और 9वीं मंजिल),
कोलकाता - 700 071
फोन : 91-33-22824426-27-29
फैक्स : 91-33-22824428
ई–मेल : ero@epi.gov.in

if'peh {k=h; dk;ky;&ecbZ
''बख्तावर'', 6ए, 6वां मंजिल,
नरीमन पॉईट, मुंबई - 400 021
फोन : 91-22-22027585, 22026347
फैक्स : 91-22-22882177
ई–मेलः wromumbai@epi.gov.in

mÙkjh {k=h; dk;ky;&fnYyh
कोर– 3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91-11-24361666
फैक्स : 91-11-24368293
ई– मेलः nro@epi.gov.in

nf{k.kh {k=h; dk;ky; &pUubZ
3 डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन, चेट्टी रोड,
टी नगर, चेन्नई - 600 017
फोन : 91-44-28156886, 28156421
फैक्स : 91-44-28156629
ई–मेलः sro@epi.gov.in

mRrj iohZ {k=h; dk;ky;
4 मंजिल, हिंदुस्तान टॉवर,
ब्लॉक–ए, जवाहर नगर, राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या 37, बेलटाला
गुवाहाटी - 781022 (असम)
फोनः 0361-2304666
फैक्सः 0361-2300017
ई– मेलः neroguwahati@rediffmail.com

f'kfoj dk;ky; eLdV

इंजीनियर– 3 परियोजना
सी/ओ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड –ओमान
पोस्ट बॉक्स सं. 3251
डाक कोड : - 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान सल्तनत
ई - मेल आईडीः sk.jain@epi.gov.in
फोन :.+96898187005

Jhyadk ifj;kstuk

पाइप्स /वी / 10
49/38 सी, ऑफ टैम्पल रोड
कुरूमानकडू,
वावुनिया, उत्तरी प्रांत
श्रीलंका
पिन कोड : 43000
फोनः +94-24-2227423

ys[kkijh{kd% dkuuh ys[kkijh{kd

मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
डी –1, दूसरा तल,
डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली - 110024

'kk[kk ys[kkijh{kd

मैसर्स योगानंद एण्ड राम
चार्टर्ड अकाउंटेंट
जी –1, श्री विष्णु अपार्टमेंट
12, बारहवां क्रॉस स्ट्रीट
दंडीश्वरम नगर वेलाचेरी
चैन्नई - 600 042 तमिलनाडु

मैसर्स डी चक्रवर्ती एण्ड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
बीकानेर बिल्डिंग
पहला तल,
8– बी, लालबाजार स्ट्रीट
कोलकाता - 700001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स एबीएम एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
#901, वाशी इन्फोटेक पार्क,
प्लॉट सं. 16, सेक्टर 30ए
वाशी,
नवी मुंबई - 400705
महाराष्ट्र

fons'kh ys[kkijh{kd

'kk[kk ys[kkijh{kd Jhyadk
मैसर्स जयसिंघे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
94/12, कूरूलापोने एवेन्यू,
कोलंबो - 05

'kk[kk ys[kkijh{kd vkeku
मैसर्स एमएचएमवाई लेखापरीक्षक
चार्टर्ड अकाउंटेंट
पी.ओ. बॉक्स - 385,
जिब्रू, पी. सी. - 114,
मस्कट
ओमान सल्तनत

ykxr ys[kkijh{kd

मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
दूसरी मंजिल, सुनहरी मार्केट,
अट्टा, सेक्टर - 27,
नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301

lfpoky;h ys[kkijh{kd

मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
39/2068, नाईवाला,
315, डाखा चैम्बर्स,
करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005

cSad lZ

इलाहाबाद बैंक
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
देना बैंक
आईडीबीआई बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिंडिकेट बैंक
इंडसइंड बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
ऐक्सिस बैंक

bZihvkbZ dk xr 5 o"kksZa dh foRrh; fLFkfr

(रूपए लाख में)

fof'kf"V;k@o"kZ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 d- ifjpkyu laca/kh lkaf[;dh;					
टर्नओवर (प्रचालन आय)	110368.72	90127.34	84060.96	85516.72	1,03,128.21
अन्य आय	2490.07	3645.25	4443.17	3534.00	2,789.27
dqy vk; ¼d½	112858.79	93772.59	88504.13	89050.72	1,05,917.48
dqy 0;; ¼[k½	110359.87	89416.13	84615.02	85398.78	100,991.01
ldy ekthZu ¼d&[k½	2498.92	4356.46	3889.11	3651.94	4,926.47
ब्याज	186.11	647.45	631.76	942.11	706.15
अवक्षयण	55.04	72.53	91.89	99.30	99.62
dj iwoZ ykHk ¼ihchVh½	2257.77	3636.46	3165.46	2610.53	4,120.70
आय–कर	752.70	1189.75	1019.58	911.09	1,412.08
dj i'pkr~ ykHk ¼ih,Vh½	1505.07	2446.71	2145.87	1699.44	2,708.62
ऑपरेटिंग भंडार पर संक्रमणकालीन मूल्य–ह्रास प्रभाव	-	-	-	-	4.37
संदत्त लाभांश	708.45	708.45	708.45	708.45	708.45
लाभांश वितरण कर का भुगतान	114.93	114.93	120.40	120.40	144.22
आरक्षित और अधिक्य में अग्रणीत अधिशेष	681.69	1623.33	1243.62	862.73	1,851.58
कर्मचारियों की संख्या	434	419	435	437	436
10/–रु0 प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
[k- foÙkh; fLFkfr					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3,542.27
आरक्षित और अधिक्य (मुक्त आरक्षितयां)	12507.44	14130.76	15374.37	16237.10	18,088.67
सीएसआर आरक्षित	-	-	76.98	7.86	-
fuoy eY; ¼'ks;j/kkjdksa dh fuf/k½	16049.71	17673.03	18916.64	19779.37	21,630.94
fu;ksftr iwath	16049.71	17673.03	18916.64	19779.37	21,630.94
x- foÙkh; vuqikr					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रुपए में)	254.31	215.10	194.14	195.69	236.53
सकल मार्जिन / टर्नओवर (%)	2.26	4.83	4.63	4.27	4.78
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) / टर्नओवर (%)	2.05	4.03	3.77	3.05	4.00
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/शुद्ध मूल्य (%)	14.07	20.58	16.73	13.20	19.05
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/शुद्ध मूल्य (%)	9.38	13.84	11.34	8.59	12.52
संदत्त लाभांश/ कर पूर्व लाभ (%)	31.38	19.48	22.38	27.14	17.19
संदत्त लाभांश / कर पश्चात् लाभ (पीएटी) (%)	47.07	28.96	33.01	41.69	26.16
आधारिक और तनुकृत इपीएस (रुपए में)	4.25	6.91	6.06	4.80	7.65
10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य का प्रति शेयर एनएवी	45.31	49.89	53.40	55.84	61.07

v/;{k dk mnckks/ku

fç; 'ks;j /kkjdks

आप सब का आपकी कंपनी की 45वीं वार्षिक साधारण बैठक में स्वागत करने का मेरा गर्व पूर्ण विशेषाधिकार है। वर्ष 2014–15 की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट है, जैसे उपाबंधों से मिलकर बनी है। निगम शासन पर रिपोर्ट, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भरणीयता पर रिपोर्ट, संपरीक्षित वार्षिक लेखे, स्वतंत्र एवं सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां आपके समक्ष रख दी गई है।

m|ksx ifj–';

घरेलू संनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को अवसंरचना, तेल एवं गैस, विद्युत, खनन, परिष्करणी, परिवहन आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि से बल मिलता है। संनिर्माण क्षेत्र से बहुत संभावनाएं है और इसके निकट भविष्य में विद्युत परियोजनाओं, अवसंरचना और आवास क्षेत्रों में प्रक्षेपित बृहत् विकास में तेजी से वृद्धि करने की आशा है।

निर्यात बाजार भी उत्कृष्ट अवसरों का प्रस्ताव करता है । जिसका परिणाम वैश्विक इंजीनियरिंग निर्यातों में भारत के अंशदान में वृद्धि के रूप में हो सकेगा। सरकार का "भारत में बनाओ" कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था में अमूल संपरिवर्तन को परिदर्शित करता है और समाविष्ट विकास पर बहुआयामी प्रभाव के लिए आधारशिला रख दी गई है। एक जीवंत पहचान सृजित करने के लिए प्रयास दृश्यमान हो रहा है जो आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसने वैश्विक नेताओं से भारत में विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकियों को अर्जित करने के साधन मुहैया करा दिए है।

भारत सरकार विनिधान मानकों को शिथिल करके अवंसरचना क्षेत्र को बल देने के लिए प्रत्येक संभव पहल कर रही है।

dkjckj volj

आपकी कंपनी संनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में विशेषकर योजनाबद्ध पहलों जैसे स्मार्ट शहर, गंगा सफाई, पत्तनों और निम्न लागत के विमानपत्तनों का विकास, रेल नेटवर्क/औद्योगिक कारिडोरों में बृहत अवसंरचना परियोजनाएं, सौर विद्युत परियोजनाएं आदि में घरेलू कारबार अवसरों का लाभ उठा सकती है। तथापि, कंपनी अत्याधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन कर रही है और इसे घरेलू बाजार में अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और प्राइवेट कंपनियों से कठोर प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, आपकी कंपनी विकास कार्यकलापों का फायदा उठाने के लिए सभी प्रयासों को करना और उच्चतर वृद्धि हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध है।

foi.ku igy

आपकी कंपनी ने एक बहुआयामी इंजीनियरिंग एवं संनिर्माण कंपनी जिसकी संपूर्ण भारत और विदेश में उपस्थिति है, के रूप में स्वयं को स्थापित करने में लंबा रास्ता तय किया है। कंपनी ने 30 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात् विदेशी बाजारों में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश किया है, विदेशों में परियोजनाएं हासिल की हैं और मलेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कुवैत और

अफ्रीकी देशों में कारबार हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी भारत के साथ–साथ विदेशों में स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, शहरी अवसंचना, सीमा प्रबंधन, सड़क और रेलवे क्षेत्र परियोजनाओं के क्षेत्र में उद्भूत अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो रही है।

dk;&fu"iknu dh e[; fo'k"krk,

वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी ने 1915 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं हासिल की हैं। उसका ध्यान परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) संविदा हासिल करने पर है। आपकी कंपनी पहले ही विशेषीकृत परियोजनाओं अर्थात् धातु विज्ञान और सामग्री हैंडलिंग के क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, दुग्ध उत्पादन और पशु चारे के क्षेत्र में बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के क्षेत्र में दो परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। हाल ही में आपकी कंपनी ने 7 राज्यों में फैली स्पोर्टस स्टेडियम परियोजनाएं हासिल की हैं।

आपकी कंपनी को हाल ही में ओमान में इंजीनियर–3 परियोजना का चरण–2 प्रदान किया गया है, जो उच्च मूल्य की 470 मिलियन अमरीकी डालरों की परियोजना है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि चरण–2 ईपीआई को परियोजना के चरण–1 में कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रदान किया गया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी के इतिहास में ईपीआई को दिया गया यह सबसे बड़ा आदेश है और ये कंपनी को अगले स्तर पर ले जाएगा।

e[; foÙkh; fo'k"krk,

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014–15 में आपकी कंपनी की कुल आय 1059.17 करोड़ रुपए है, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है। कारबार में वृद्धि ऐसे समय एक प्रशंसनीय उपलब्धि है जब वैश्विक बाजार मंदी और वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कर–पूर्व 41.21 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो पूर्ववर्ती वर्ष में 26.11 करोड़ रुपए की तुलना में 57.83 प्रतिशत अधिक है।

çpkyu fo'k"krk,

वर्ष 2014–15 के दौरान ''औद्योगिक प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हैंडलिंग और विद्युत परियोजनाएं'' क्षेत्र कंपनी के कुल कारबार में सबसे अधिक अंशदायिक रहा (56.38 प्रतिशत) इसके पश्चात् आवासन एवं भवन संकर्म रहा। जिसका प्रतिशत भाग बढ़कर 33.27 प्रतिशत हो गया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने अपना ध्यान ''औद्योगिक प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हैंडलिंग और प्रौद्योगिकी परियोजना'' क्षेत्र पर परिवर्तित कर दिया है, जो कंपनी के विशेषीकृत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को उपदर्शित करता है।

आपकी कंपनी ने 1031.28 करोड़ रुपए का प्रचालन कारबार हासिल किया है। जिसके अंतर्गत घरेलू परियोजनाओं से 439.86 करोड़ रुपए (42.65 प्रतिशत) और विदेशी परियोजनाओं (अर्थात् ओमान और श्रीलंका में परियोजनाएं) से 591.42 करोड़ रुपए (57.35 प्रतिशत) है।

le>kSrk Kkiu d v/khu dk;&fu"iknu

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सरकार के साथ वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के निबंधनों में कंपनी के कार्य–निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग प्रदान की है।

ykHkka'k

आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी पर वर्ष 2014–15 के लिए 20 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है।

ekuo lalk/ku

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को एक मूल्यवान परिसंपत्ति समझती है और वह अपने कर्मचारियों जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के साथ महिला कर्मचारी हैं, के कल्याण पर जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

fuxe 'kklu

आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि अच्छा निगम शासन प्रभावी और तर्क पूर्ण प्रबंधन को सुकर बनाता है जो कंपनी को दीर्घावधि सफलता का परिदान कर सकता है। कंपनी के पास पारदर्शिता का सुनिश्चय करने के लिए कार्य मैनुअल और लेखापरीक्षा मैनुअल है। कंपनी सतत् रूप से लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है।

fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro vkj Hkj.kh;rk

आपकी कंपनी परियोजना स्थल में और उसके चारों ओर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक तथा स्थायी प्रभाव का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन अंगीकृत 10 सरकारी विद्यालयों में शौचालयों (13 शौचालय) का संनिर्माण हाथ में लिया है और इन विद्यालयों के चारों ओर सौर प्रकाश उपलब्ध कराया है। आने वाले वर्ष के लिए कार्यकलापों और योजनाओं के ब्यौरें देते हुए एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध के रूप में उपाबद्ध है।

vfHkLohd`fr

कंपनी के प्रचालनों और उसकी वृद्धि में सफलता कंपनी के कर्मचारियों, निदेशक बोर्ड, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार और हमारे शेयर धारकों से प्राप्त चहुमुखी सहयोग से संभव हुई है। मैं आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से किए गए प्रयासों को अभिलेख पर रखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में वे आपकी कंपनी को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए और अधिक कठोर प्रयास करेंगे। मैं आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, कानूनी लेखापरीक्षकों एवं अन्य लेखापरीक्षकों तथा भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ। मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों, कारबार एसोसिएट्स और बैंकों का भी उनके द्वारा आपकी कंपनी में रखे गए विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूँ।

ह0/–
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çc/k funs'kd
Mhvkbu % 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 सितम्बर, 2015

l ipuk

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 45वीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार 29 सितम्बर, 2015 को 3.00 बजे अपराह्न उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में निम्नलिखित कारबार का संव्यहार करने के लिए आयोजित की जाएगी :

lk/kkj.k dkjckj

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकृत करना तथा उपांतरणों सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   '';g ladYi djrs gq, fd, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां और 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9), संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों के प्रकटन के लिए प्ररूप, एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद् द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना और उपांतरणों के साथ या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   '';g ladYi djrs gq, fd] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में वर्ष 2014–15 के लिए @ 2 रुपए प्रति शेयर की दर से लाभांश 7.08 करोड़ रुपए होता है, जोकि 35.42 करोड़ रुपए की संदत्त ईक्विटी पूंजी का 20 प्रतिशत (अर्थात 10 रुपए प्रत्येक के 3,54,22,688 ईक्विटी शेयर होते हैं) और उन शेयर धारकों के पक्ष में घोषणा की जाती है, जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है''।

fo'k"k dkjckj

3. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ^^;g ladYi djrs gq, fd] कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 49950/– (उनचास हजार नौ सौ पचास रुपए मात्र) धन लागू सेवा कर सहित, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा पॉकेट व्यय नहीं है, को वास्तविक के आधार पर दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से बाहर के भ्रमणों पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद् द्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

4. वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

^^;g ldYi djr g fd] कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 49950/–(उनचास हजार नौ सौ पचास रुपए मात्र) धन लागू सेवा कर सहित जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा पॉकेट व्यय नहीं है को वास्तविक के आधार पर दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से बाहर के भ्रमणों पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद् द्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

fun'kd ckM d vkn'k }kjk

ह0/–
¼l/kk oh- ojnu½
diuh lfpo

तारीख : 04 सितम्बर, 2015
स्थान : नई दिल्ली

fVIif.k;k %

1. बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यक्ता भरा हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ और हस्ताक्षरित रूप में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व उसका परिदान कर दिया जाए। प्रॉक्सी का प्ररूप उपाबद्ध है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति पचास से अनाधिक सदस्यों के निमित प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला कोई सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105)। कोई प्रॉक्सी प्ररूप जिसमें प्रॉक्सी के नाम का कथन नहीं है या तारीख रहीत है को विधि मान्य नहीं समझा जाएगा (साधारण बैठकों के सचिवालय मानक (एसएस–2)।

3. कंपनी की बैठक में मत देने का हकदार प्रत्येक सदस्य या उसमें लाए गए किसी संकल्प पर बैठक के प्रारंभ होने के लिए नियत समय और बैठक की समाप्ति से पूर्व की 24 घंटे की अवधि के दौरान लॉच की गई प्रॉक्सियों की कंपनी के कारबार के घंटों के दौरान किसी भी समय परंतु कंपनी को इस प्रकार निरीक्षण के आशय की लिखित सूचना देने के 3 दिन से अन्यून नहीं, निरीक्षण करने के लिए हकदार होगा ।

4. निगमित सदस्यों को बोर्ड के संकल्प की सम्यक्ता अधिप्रमाणित प्रती भेजने का अनुरोध किया जाता है जो बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान देने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को प्राधिकृत करे।

5. दो प्रतियों में नामनिर्देशन प्ररूप इसके साथ उपाबद्ध है। यह अनुरोध किया जाता है कि, कंपनी के सभी सदस्य उसे सम्यक्ता भरकर, हस्ताक्षर करके और स्टैम्प लगाकर वापस कर दें (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113)।

6. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपनी ई–मेल को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है या जो अपने ई–मेल में परिवर्तन करना चाहते हैं, से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरएण्डटीए से संपर्क करें ताकि वे इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सभी संसूचनाए प्राप्त करें जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा समय–समय पर भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना आदि है। कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता को एमसीएस लिमिटेड से परिवर्तित करके एमसीएस शेयर अंतरण अभिकर्ता लिमिटेड (अप्रैल, 2015 के प्रभाव से), एफ–65, पहला तल, औखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 कर दिया गया है। संपर्क के ब्यौरे इस प्रकार है – टेलीफोन–011–41406149–52, फैक्स : 011–41709881, ई–मेल आईडी– admin@mcsregistrars.com, वेबसाइट : www. mcsregistrars.com है।

7. शेयरधारक ई–मेल आईडी – csd@epi.gov.in पर किसी पूछताछ/परिवाद/शिकायत के लिए लिख सकते हैं।

8. वार्षिक साधारण बैठक के स्थान को उपदर्शित करते हुए मार्ग का मानचित्र इस सूचना के अंत में दिया गया है।

9. सदस्यों से सम्यक्ता भरी हुई उपस्थिति पर्ची को लाने का और बैठक के स्थल पर हस्ताक्षरित करने का अनुरोध है, उपस्थिति पर्ची का प्ररूप संलग्न है।

10. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसरण में होस्ट की गई है।

diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 102¼1½ d vuqlj.k e en l[;k 3 vkj en l[;k 4 d lac/k e tlkfd Åij vf/kdfFkr g bl lpuk dk Hkkx gA

en l[;k 3 ¼ foÙk o"k 2014&15 d fy, ykxr ys[kkdkj d ikfjJfed dk vuqleFku

निदेशक बोर्ड ने 29 सितम्बर, 2014 को आयोजित अपनी 235वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को कंपनी के वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण संचालित करने के लिए 49950/–रुपए (उन्चास हजार नौ सौ पचास रुपए मात्र) धन लागू सेवा कर सहित पर जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/मंहगाई भत्ता नहीं है और पॉकेट व्यय जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर वास्तविक भ्रमणों के आधार पर संदत्त किए जाएंगे, नियुक्त किया है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लागत लेखापरीक्षकों को सदत्त पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्य द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होता है। तद्नुसार, सूचना की मद 3 का संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के रूप में अधिकथित है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 3 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

en l[;k 4 ¼ foÙk o"k 2015&16 d fy, ykxr ys[kkdkj d ikfjJfed dk vuqleFku

निदेशक बोर्ड ने 21 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को कंपनी के वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत अभिलेखों की संपरीक्षण संचालित करने के लिए 49950/– रुपए (उन्नचास हजार नौ सौ पचास रुपए मात्र) धन लागू सेवा कर सहित पर जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/मंहगाई भत्ता नहीं है और पॉकेट व्यय जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर वास्तविक भ्रमणों के आधार पर संदत्त किए जाएंगे, नियुक्त किया है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लागत लेखापरीक्षकों को सदत्त पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्य द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होता है। तद्नुसार, सूचना की मद संख्या 4 का संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के रूप में अधिकथित है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 4 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

सेवा में :

1. ईपीआई के सभी शेयरधारक

2. मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स,
कानूनी लेखापरीक्षक,
डी–1, दूसरा तल, डिफेंस कलोनी,
नई दिल्ली–110024

3. मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
सचिवालयी लेखापरीक्षक, ईपीआई
39/2068, नाईवाला, 315, डाखा चैम्बर्स,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

4. मैसर्स ए जी अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखापरीक्षक, ईपीआई
दूसरा तल, सुनहरी मार्केट, सेक्टर 27,
अट्टा, जी.बी. नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

5. ईपीआई के सभी निदेशक

çfr %

1. सचिव, भारत सरकार,
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,
भारी उद्योग विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली–110001

fun'kd ckMZ dk vkns'k }kjk

ह0/–

¼l/kk oh- ojnu½

dEiuh lfpo

तारीख : 04 सितम्बर, 2015

स्थान : नई दिल्ली

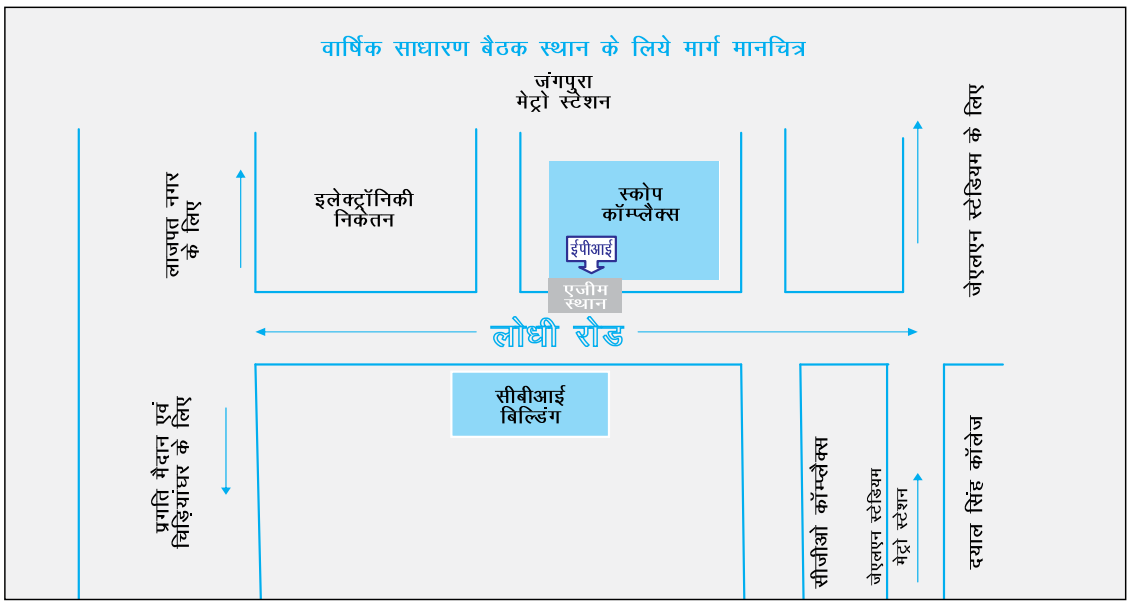

ukefunl'ku ç:i

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू27109डीएल1970जीओआई. 117585,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड़,
नई दिल्ली–110003

प्रिय महोदय / महोदया,
मैं श्री / श्रीमती...

(नाम)

....

(पदनाम)

को ईपीआई के शेयरधारकों की 29 सितंबर, 2015 को आयोजित होने वाली 45वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्दिष्ट करता हूँ।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

ç:i l[;k ,ethVh & 11 ç,Dlh ç:i

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी आई एन :

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

सदस्य (यों) का नाम :

रजिस्ट्रीकृत पता :

ई–मेल आईडी :

फोलियों संख्या/ग्राहक पहचान :

डीपी पहचान :

मैं/हम पूर्वोक्त कंपनी के ——————————————————शेयरों के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं

1. नाम : ————————————————————

पता : ————————————————————

ई–मेल आईडी : ————————————————

हस्ताक्षर : ——————————————————, या उनके न होने पर

2. नाम : ————————————————————

पता : ————————————————————

ई–मेल आईडी : ————————————————

हस्ताक्षर : ——————————————————, या उनके न होने पर

3. नाम : ————————————————————

पता : ————————————————————

ई–मेल आईडी : ————————————————

हस्ताक्षर : ——————————————————, या उनके न होने पर

को मेरे/हमारे प्रॉक्सी – के रूप में मेरे/हमारे निमित्त भाग लेने के लिए और मत देने के लिए (मतदान होने पर) कंपनी की .... को .... बजे ....को आयोजित बैठक में या उसके किसी स्थगन में जिसकी बाबत ऐसे संकल्पों में जैसाकि नीचे उपदर्शित किया गया है, नियुक्त – करते हैं :

संकल्प संख्या

1. ....

2. ....

3. ....

तारीख : .... 20...... को हस्ताक्षरित

राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक (कों) के हस्ताक्षर

fVIIk.kh % bl ç,Dlh dk çHkkoh gksus ds fy, mls lE;Drk Hkjdj dEiuh ds jftLVªh—r dk;kZy; esa cSBd ds çkjEHk gksus ds de ls de 48 ?kaVs iwoZ tek fd;k tkuk pkfg,A

mifLFkfr iph

45oh okf"kd lk/kkj.k cBd] exyokj] 29 flrEcj] 2015 dk 3-00 ct lk;

धृत शेयरों का रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या ...../डीपी पहचान.....ग्राहक पहचान/फायदाग्राही खाता ..... संख्या.

मैं, प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक हूं/कंपनी के रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक की प्रॉक्सी हूं और एतद् द्वारा 45वीं वार्षिक साधारण बैठक, मंगलवार, 29 सितम्बर, 2015 को 3.00 बजे सायं कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, चौथा तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करता हूं।

.....

.....

lnL;k@ç,Dlh dk Li"V v{kjk e uke

lnL;k@ç,Dlh d gLrk{kj

fVIi.k % —i;k bl mifLFkfr iph dk Hkj vkj gky d ço'k }kj ij lki nA

fun'kdksa dh fjiksVZ

fç; lnL;ksa

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन पर 45वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1- foÙkh; fo'ks"krk,a

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 85,517 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 1,03,128 लाख रुपए रहा। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान वर्ष 2013–14 में अर्जित 2,611 लाख रूपए की तुलना में 4,121 लाख रुपए रहा जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 57.83 प्रतिशत वृद्धि है।

वर्ष 2014–15 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी के साथ आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रुपए में)

Øe la-	fooj.k	2014-15	2013-14
1.	प्रचालन आवर्त	**1,03,128**	85,517
2.	अन्य आय	**2,789**	3,534
3.	कुल आय	**1,05,917**	89,051
4.	सकल मार्जिन	**4,926**	3,652
5.	संदत्त ब्याज	**706**	942
6.	अवक्षयण	**99**	99
7.	कर से पूर्व लाभ	**4,121**	2,611
8.	कर	**1,412**	911
9.	कर के पश्चात् लाभ	**2,709**	1,699
10	निबल मूल्य	**21,631**	19,779

कंपनी का निबल मूल्य 19,779 लाख रुपए से बढ़कर 21,631 लाख रुपए हो गया जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 9.36 प्रतिशत वृद्धि है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2014–15 में 17.96 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2013–14 के 22.32 के मुकाबले है।

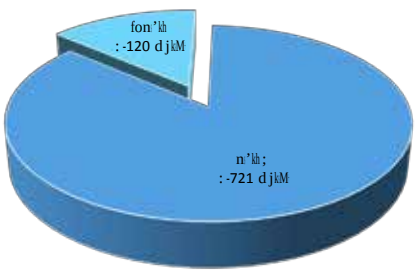

vkorZ & ns'kh; ,oa fons'kh

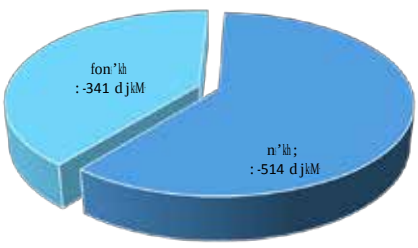

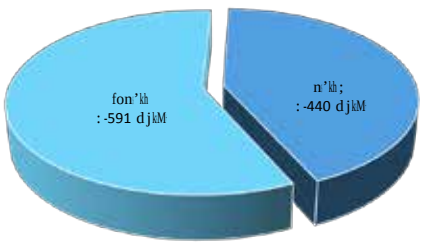

2- iwath <kpk

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमश : 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साधारण शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है)।

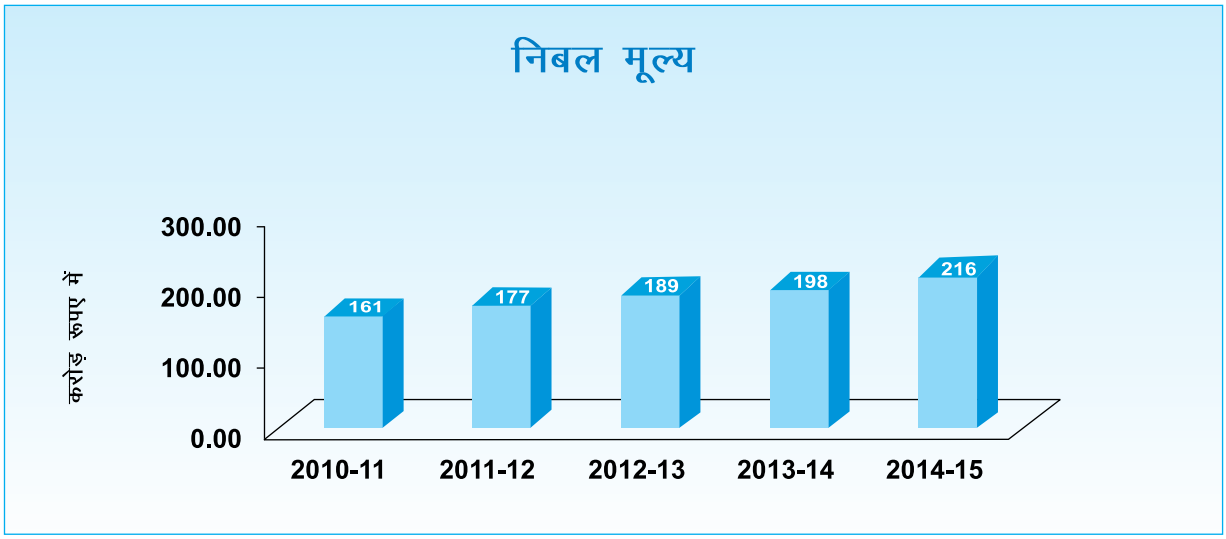

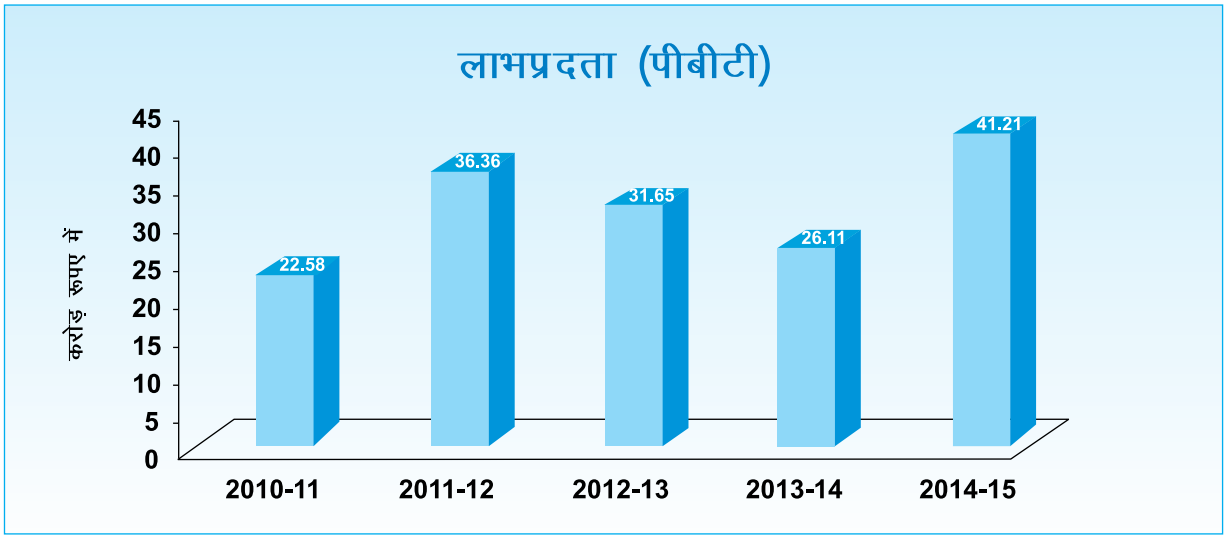

3- ykHkka'k ,oa vkjf{kfr;k

आपके निदेशकों ने वर्ष 2014–15 के लिए प्रत्येक शेयर पर 2 रुपए के लाभांश की सिफारिश की है जोकि कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत है। लाभांश का संकाय कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के दौरान लाभांश और लाभांश वितरण पर कुल व्यय क्रमश : 708 लाख रुपए और 144 लाख रुपए होगा।

आपके निदेशक 200 लाख रुपए की रकम को कंपनी की साधारण आरक्षिति में अंतरित करने का और शेष लाभ को अग्रणित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2015, की स्थिति के अनुसार आरक्षितियों एवं अधिशेष लेखे में शेष रकम 18,089 लाख रुपए है।

4- foi.ku miyfC/k;k

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने 1915.88 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्राप्त की । प्राप्त की गई कुछ मुख्य परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

Øe l-	ifj;kstuk dk uke vkj LFkku	xkgd	eY; ¼djksM #i, e½
1.	ओडिशा के सुंदर गढ़ जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल स्थपित करने के लिए परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन परामर्श	एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा	325.00
2.	झारखंड राज्य में नई पालिटेक्निक संस्थाओं/ इंजीनियरी महाविद्यालयों के संनिर्माण और विकास के लिए पीएमसी, विद्यमान तकनीकी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और अन्य अवसंरचना विकास कार्य	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार, रांची	210.00
3.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान (एनआईपीईआर) संस्थान गुवाहाटी के कैम्पस का संनिर्माण	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान(एनआईपीईआर) संस्थान	159.00
4.	जल आपूर्ति योजना, सिंगरौली (प्रथम पैकेज)	नगर निगम सिंगरौली, मध्य प्रदेश	101.83
5.	चरण–1 कार्य का संनिर्माण जिसमें अनुसंधान प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास कार्यालय, छात्रावास ब्लॉक, एसटीपी शामिल हैं। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएवी) हैदराबाद के सहबद्ध कार्य हैं।	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा	91.24
6.	गुवाहाटी, आईआईटी परिसर–चरण 5 के शैक्षिक परिसर का विस्तार	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	69.45
7.	बेलगांव जिले के बेलहोंगल कस्बे के लिए यूजीडी योजना, जिसके अंतर्गत – क) सीवर लाइनों को बिछाना और जोड़ना, मेन होल चौम्बरों, स्क्रीन चैम्बर, ग्रिट चैम्बर और वैट वॉल का संनिर्माण। ख) 8.28 एमएलडी क्षमता के एरिएटेड लैगून और अनुषंगी संकर्मों का संनिर्माण	कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड, धारवाड़, कर्नाटक	54.86
8.	प्रौन्नत संगणक विकास केंद्र (सी–डैक), पुणे की इनोवेशन पार्क बिल्डिंग के संनिर्माण को पूरा करने के लिए पीएमसी एवं संविदा कार्य	प्रौन्नत संगणक विकास केंद्र (सी–डैक), पुणे, महाराष्ट्र	51.41
9.	होदीरायनथाला डायवर्जन योजना भद्रावती के अधीन होदीरायनथाला से जम्बादाहाल्लो और आपूर्निनेंट कार्य के लिए डायवर्जन वेयर का संनिर्माण	कर्नाटक नीरावाड़ी निगम लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक	45.04
10.	ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में फिरोजगांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना चरण 4 (1X500 मेगावाट) के लिए कोयला हथालन और भस्मा हथालन प्रणाली के लिए परियोजना मानीटरी एवं संनिर्माण पर्यवेक्षण और आर्किटेक्ट् इंजीनियरी सेवा	एनटीपीसी, बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)	13.92

Hkkjr ,o fon'k e dk;kU0k;u d v/khu çe[k ifj;ktuk, %

1. 1376.99 करोड़ रुपए के मूल्य की ओमान में इंजीनियर–3 परियोजना।
2. जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के परिसर के विकास के लिए 1187.91 करोड़ रुपए का परियोजना प्रबंधन परामर्श।
3. 550.82 करोड़ रुपए के मूल्य की भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में कच्ची सामग्री प्राप्ति एवं हथालन प्रसुविधाओं का नई ओएचपी (पीकेजी संख्या 061) के साथ आमेलन।
4. 287.81 करोड़ रुपए के मूल्य के भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में ईंधन एवं फ्लक्स पेराई प्रसुविधाओं (पीकेजी संख्या 064) का आमेलन।

fHkykbZ bLikr la;= ifj;ktuk & oxu fVIi yj ,o fVou ce LVdj

5. 216.44 करोड़ रुपए के मूल्य की राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चरण–1 में दो संघटक परिसरों का बासार एवं नजविद, आंध्र प्रदेश में संनिर्माण।
6. 181.16 करोड़ रुपए मूल्य के बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, जिला नालंदा (बिहार) का संनिर्माण।
7. मल्लावरम, आंध्र प्रदेश में ऑनशोर गैस टर्मिनल के लिए कच्चा जल पाइपलाइन एवं सहबद्ध कार्य और गुजरात राज्य पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के लिए 104.00 करोड़ रुपए की दीनदयाल फील्ड विकास परियोजना।
8. सरकारी राजाजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मदुरै में पीएमएसएसवाई चरण–2 के अधीन मदुरै, तमिलनाडु में 81.05 करोड़ रुपए के मूल्य के अति–विशेषज्ञता अस्पताल का संनिर्माण।

,Qth;Vhihih ¼1$500 ,eMCY;½ Åpkgj & ck;yj gkÅl fuek.k dk; ixfr e

nf{k.k f=iqjk esa djefrYyk ,oa cRrkyh lhek ij vkÅV iksLV dk mn?kkVu

9. 74.68 करोड़ रुपए मूल्य के एसआईआईडीसीयूएल चरण–2 के आईआईई, सितारगंज, उत्तराखंड में अवसंरचना विकास कार्य का संनिर्माण

10. श्रीलंका में 69.74 करोड़ रुपए की ववूनियां पारेषण मुख्य एवं वितरण प्रणाली के लिए डब्ल्यूएसएस में पाइपों की आपूर्ति और बिछाना एवं विशेष सज्जा और वॉल्व तथा शुष्क जोन शहरी जल एवं स्वच्छता परियोजना, चिल्ला एवं पुट्टालम में भूतल जल विकास परियोजना ।

Hkkjr es iwjh dh xbl ifj;ktuk,

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया:

- i तेजपुर, असम में तेजपुर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का संनिर्माण।
- ii लच्छुरा, झांसी, (उत्तर प्रदेश) में चौधरी चरण सिंह बांध का संनिर्माण।
- iii एनआईटीए, अगरतला, त्रिपुरा में कार्यशाला, मैकेनिकल प्रयोगशाला, वैद्युत प्रयोगशाला आदि. के विस्तार का संनिर्माण।
- iv गर्वा, झारखंड में पॉलिटेक्निक संस्थान का संनिर्माण।
- v रानीपूल, सिक्किम में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एण्ड पोस्ट हार्वेस्टस टेक्नालॉजी कालेज की योजना, डिजाइन एवं संनिर्माण।

LikV‍l dkEIyDl lVj] fcykl iqj & ckâ; vkj vkrfjd LVfM;e

vi देवराकोन्डा, नालगौड़ा, आंध्र प्रदेश में एचआईजी एवं एमआईजी गृहों का एसएफएस योजना के अधीन संनिर्माण।

vii इम्फाल, मणिपुर में कालेज ऑफ एग्रीकल्चर लरोईसेम्बा एवं एण्ड्रो रिसर्च फार्म का संनिर्माण।

viii एनआईटी, रायपुर (छत्तीसगढ़) में मुख्य प्रवेश द्वार, चारदीवार एवं लैंडस्कोपिंग, आर्किटेक्चर भवन और केंटीन भवन का संनिर्माण।

ix विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए भवन का संनिर्माण ।

5- vkns'k iqfLrdk fLFkfr

वर्ष 2014–15 के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक) आपकी कंपनी ने 3205 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत इंजीनियर–3 परियोजना (चरण 2) का ओमान में 470 मिलिन अमरीकी डालर का आदेश शामिल है।

6- le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½ ds v/khu dk;Z&fu"iknu dh jsfVax

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कंपनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2013–14 में हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार कंपनी के कार्य–निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग प्रदान की है।

Hkkjrh; Hkkfrdh i;kx'kkyk] ubl fnYyh dk mn?kkVu

7- fuxe 'kklu

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती है। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः mikc/k d और [k उपाबद्ध हैं।

8- ØfMV jfVx

आईसीआरए की रेटिंग समिति ने कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमाओं के लिए आईसीआरए की दीर्घावधि रेटिंग ''ए–प्लस'' और आईसीआरए की लघु अवधि रेटिंग ''ए1–प्लस'' की पुन : पुष्टी की है। दीर्घावधि रेटिंग की संभावना ''स्थीर'' है।

9- lrdlrk dk;ldyki

कंपनी के सतर्कता प्रभाग का विभाग प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है जो ''पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा पर औचक निरीक्षण, जांच के माध्यम से ध्यान केंद्रित करता है और निवारक सतर्कता के माध्यम से अच्छी प्रशासन पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है।

सतर्कता प्रभाग ने इस अवधि के दौरान प्रचालन में पादर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं और समय–समय पर कंपनी के विभिन्न अधिकारियों को मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेशों का अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। कंपनी ने सूचना प्रदाता नीति, कपट निवारण नीति, जोखिम प्रबंधन, सर्वोत्तम शिकायत, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और सूचना का अधिकार जैसे विभिन्न निवारक उपायों को कार्यान्वित किया है।

वर्ष के दौरान ईपीआईएल ने सतर्कता भवन, नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता आयुक्त के साथ तारीख 25.07.2014 को आयोजित वार्षिक जोनल/सैक्टोरल पुनर्विलोकन बैठक में भाग लिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के साथ 19 सितम्बर, 2014 को स्कोप कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली में आयोजित इंट्रैक्टिव बैठक में भाग लिया।

आपकी कंपनी ने 27.10.2014 से 01.11.2014 के दौरान अपने निगम/प्रादेशिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में अत्याधिक उत्साह से, ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया। इस अवसर पर एक कर्मचारियों के लिए, ''भ्रष्टाचार दूर करने के लिए – एक समर्थकर्ता के रूप में प्रौद्योगिकी'' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता और ''भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सरल उपाय'' पर कर्मचारियों के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई।

10- ekuo lalk/ku

कंपनी अर्जित और विद्यमान देशी परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत और ओमान तथा श्रीलंका जैसे विदेशों में हाल ही में प्राप्त की गई परियोजनाओं के मद्देनजर अपनी जनशक्ति में वृद्धि कर रही है। कंपनी अपनी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल के साथ सर्वोत्तम कौशल को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 436 कर्मचारी हैं। कंपनी में 47 महिला कर्मचारी (10.8 प्रतिशत) और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित 363 कर्मचारी हैं।

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक मूल्यवान परिसंपत्ति समझती है और अपने कर्मचारियों जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी है के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है और उनके तकनीकी, संचार तथा व्यक्तिगत कौशलों को विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके वर्ष–दर–वर्ष सुदृढ़ किया जाता है। ताकि वह चालू कारबार अपेक्षाओं को कर सकें। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा फायदा, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि योजना जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनायें भी कंपनी में है।

11- vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr dk dkfeld

कंपनी में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 85 कर्मचारी (जिसके अंतर्गत 4 महिला कर्मचारी हैं) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 19.49 प्रतिशत हैं।

12- fu%'kä 0;fDr

कंपनी में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 8 कर्मचारी निःशक्त हैं, जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 1.83 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13- jkt Hkk"kk@fgUnh dk çlkj

ईपीआई अपने निगम कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों में राजभाषा/हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जो कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के आज्ञापक उपयोग पर बल देती है।

fgUnh i[kokMk lekjkg

ईपीआई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दिल्ली का की सदस्य है और नराकास द्वारा अक्तूबर/नवम्बर मास में प्रत्येक वर्ष आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं (हिन्दी में) में भाग लेने के लिए नियमित आधार पर नामनिर्देशन किया जाता है। हिन्दी दिवस/"हिन्दी पखवाड़ा" का प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से 14 सितम्बर को आयोजन किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेख, टिप्पण–प्ररूपण, हस्ताक्षर, चर्चा, प्रश्न मंच आदि का आयोजन किया जाता है। "स्वर्गीय शंकरदयाल सिंह" के नाम से एक स्मृति पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है और इसका कार्यान्वयन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने एवं "हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा समारोह" के दौरान आगे आने और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किया जाता है।

राजभाषा की महत्ता के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता और इच्छा जागृत करने के लिए विभिन्न हिन्दी कार्यशालाएं त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। तथा हिन्दी भाषा में सरकारी पत्राचार में योगदान देने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना भी है। किसी भी रूप में हिन्दी लेखन में योगदान अर्थात् लेख/निबंध कंपनी की ओर से विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित आधार पर भेजे जाते हैं। गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के तारीख 16 अप्रैल, 2013 के अनुदेशों के अनुसार सभी तिमाहियों की हिन्दी प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन व ऑफलाइन भेजी जा रही हैं।

हिन्दी की महत्ता को बढ़ावा देने के लिए "ईपीआई समाचार" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका आंतरिक और बाह्य परिचालन के लिए नियमित आधार पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जाती है।

14- dk;LFky ij efgykvk dk yfxd mRihMu ¼fuokj.k] çfr"k/k vkj çfrrk"k½ vf/kfu;e] 2013 d v/khu f'kdk;rk dk çdVu

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों (पीड़ित द्वारा की गई) के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है।

15- ykdØ; uhfr

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा और लागत प्रभावी है। कंपनी समाविष्ट वृद्धि को और ईक्विटी विकास प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है जिसको लघु उद्यमियों के कारबारों को तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास को करके सुकर बनाकर किया जा सकता है। कंपनी रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों/ईएमडी से छूट देकर इस नीति का अनुपालन कर रही है।

16- çkIr fd, x, iqjLdkj

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकस), राजभाषा विभाग, दिल्ली ने वर्ष 2015 के लिए नराकास की ओर से प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के लिए ईपीआई को आयोजक सम्मान से पुरस्कार किया गया।

uxj jktHkk"kk dk;kUo;u lfefr ¼ujkdkl½ }kjk bihvkbl dk lEeku

17- fun’kdk dh fu;fDr vkj ikfjJfed uhfr

मुख्य प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 75,000–90,000 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 65,000–75,000 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) पर की जाती है। तथापि, उनके निबंधनों और शर्तों को भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

18- ç’kklfud 0;; ea fer0;f;rk

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान ईपीआई ने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे।

19- fun’kdk vkj çe[k çc/kdh; dkfeZd d C;kj ftUg o”k d nkjku fu;ä fd;k x;k Fkk ;k ftUgku R;kxi= n fn;k FkkA

इस समय कंपनी के निदेशकों की स्थिति में पिछली वार्षिक रिपोर्ट से कोई परिवर्तन नहीं हैं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ईपीआई के बोर्ड में छह सदस्य हैं :

Øe l-	uke	rRdkfyd çHkko l
1.	श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	05.02.2009
2.	श्री ए. वी. वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त)	10.10.2013
3.	श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)	02.01.2012
4.	श्री आर. के. सिंह, अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	30.11.2012
5.	श्री एस. एस. दूबे, अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	08.05.2013
6.	डॉ. के. एस. राव, अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक	04.02.2014

वर्ष 2014–15 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), निदेशक (वित्त) (मुख्य वित्त अधिकारी), कृत्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (मू.प्र.का.) घोषित किया गया है।

निम्नलिखित मू.प्र.का. वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी में शामिल हुए यह उससे त्यागपत्र दिया है :

1) श्रीमती सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव ने तारीख 30.09.2014 (पूर्वाह्न) को ईपीआई छोड़ दी।

2) श्रीमती सुधा वेंकट वरदन ने तारीख 30.09.2014 को ईपीआई के कंपनी सचिव का प्रभार संभाला।

20- fun’kdk dk nkf;Ro fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथापेक्षित आपके निदेशक एतद् द्वारा संपुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है ।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण है। जिससे 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षाउपायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है ।

iv) यह कि सतत् आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

21- dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 149 ds v/khu Lora= funs'kd }kjk ?kks"k.kk

डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

22- cSBdksa dh la[;k

वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं, ब्यौरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में mikca/k [k पर दिए गए हैं।

23- ys[kkijh{kd

d½ dkuwuh vkSj 'kk[kk ys[kkijh{kd

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं –

Øe la-	QeZ dk uke	{ks=
1.	मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक
'kk[kk ys[kkijh{kd%		
1.	मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2.	मैसर्स डे. चक्रवर्ती एण्ड सेन, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3.	मैसर्स ए बी एम एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4.	मैसर्स योगानंद एण्ड राम, चैन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5.	मैसर्स एमएचएमवाई ऑडिटर्स, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6.	मैसर्स जयसिंघे एण्ड कंपनी , श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक

[k½ lfpoky;h ys[kkijh{kd

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी ने मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

x½ ykxr ys[kkijh{kd

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2014–15 के लिए मैसर्स ए जी अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

24- dkuu y[kkijh{kd vkj 'kk[kk y[kkijh{kd }kjk dh xbl çR;d vgrk] fjtoZ'ku ;k çfrdy fVIi.kh ;k çdVu ij ckMl dk Li"Vhdj.k ;k fVIif.k;k

dkuuh y[kkijh{kk fjikVl

वर्ष 2014–15 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पाणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

lfpoky;h y[kkijh{kk fjikVl

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

25- diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 186 d v/khu m/kkj] çfrHkfr ;k fofu/kkuk dh fof'kf"V;k

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार, प्रतिभूति या विनिधान नहीं किया गया है।

26- fof'kf"V;k dk çdVu

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

26-01 Åtk n{krk vkj mldk lj{k.k &

ऊर्जा दक्षता से हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से सर्वाधिक दक्षता प्राप्त करना अभिप्रेत है और ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा का उपयोग करने से बचना और ऊर्जा को व्यर्थ उपयोग करने से बचना अभिप्रेत है । संरक्षण उपायों पर साधारणतया बहुत कम लागत आती है क्योंकि उसमें केवल हमारे व्यवहार में परिवर्तन अंतर्वलित होता है ।

कंपनी सतत् रूप से सीएफएल/टी5/एलईडी जैसी सज्जाओं को विभिन्न परियोजनाओं / कार्यालय में उपयोग करने के लिए प्रयास करती है। वातानुकूलक, गीजर आदि जैसे स्टोर रेटड जैसे साधित्रों का विभिन्न परियोजनाओं/कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। सौर/पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय उर्जा का बिहार पुलिस अकादमी परियोजना एवं सीमा चौकी परियोजनाओं में उपयोग किया गया है।

26-02 çk|kfxdh vo'kk"k.k

d½ vu|l/kku vkj fodkl

अनुसंधान और विकास आधुनिक कारबार विश्व का एक मुख्य भाग है तथा यह एक माध्यम है जिसके द्वारा कारबार भावी वृद्धि का नये उत्पादों या प्रक्रियाओं का विकास करके अनुभव कर सकता है जिससे वह अपने प्रचालनों में सुधार ला सके और उनका विस्तार कर सके।

बॉर्डर फ्लड लाइटिंग कार्यों के लिए एचपीएसवी लैम्पों के स्थान पर एलईडी लैम्पों को लाने के लिए एक अध्ययन किया गया था। जिससे प्रचालन लागत और पूंजी की बचत होगी। यह अध्ययन बीएफएल कार्य में भावी परियोजनाओं के लिए किया गया है।

[k½ çkS|ksfxdh foy;u

ईपीआई उत्तरी कमांड में एफएलआईआर पीटी 606 ड्यूल थर्मल/सीसीडी डे–नाइट कैमरा ऐरे का 36*1 सीसीडी जूम और 100 एमएम थर्मल लैंस के साथ उत्तरी कमांड के साथ सीमा प्रबंधन के लिए नवीनतम सर्वेक्षण प्रणालियों का उपयोग कर रहा है।

कंपनी ने पीओएमए, वीओआरपीईई, फ्रांस के साथ रोप वे प्रतिष्ठापन एवं व्यावसायिक रूप से साध्य रोप वे प्रणाली की मरम्मत के लिए उपस्करों के डिजाइन, इंजीनियरी विकास, आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

x½ lpuk çkS|ksfxdh vkSj miØe lalk/ku vk;kstuk ¼bZvkjih½

वेतन, लेखांकन, बैंक प्रतिभूति प्रणाली, जैव नीति उपस्थिति प्रणाली, शिकायत मानीटरी प्रणाली, ऑन लाइन भर्ती प्रणाली और परियोजना मानीटरी के लिए क्लाउड वेस्टो मानीटरी प्रणाली।

मानव संसाधन एवं पे–रोल, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन माडयूलों के लिए ईआरपी – एसएपी के कार्यान्वयन को पूरा कर लिया गया है।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ) और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) के बीच वीडियो संगोष्ठी प्रणाली और संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है। आईपीवी6 मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कम्प्यूटरों/उप–संघटकों का प्रतिस्थापन प्रगति पर है। एमपीएलएस निगमित कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालय में (डब्लूएएन) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

26-03 fons'kh eqæk vtZu vkSj O;;

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में 34,570 लाख रुपए के मुकाबले 59,315 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2014–15 में उपगत विदेशी व्यय 51,444 लाख रुपए था जो कि वर्ष 2013–14 में 30,486 लाख रुपए था।

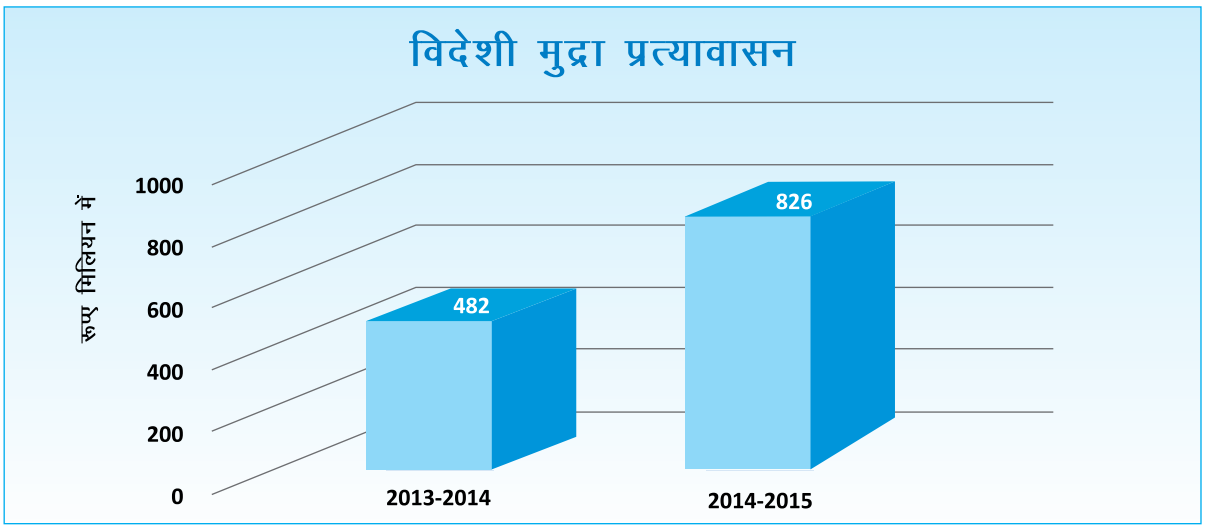

27- x|.koÙkk çca/ku

ईपीआई को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणीकृत किया गया है, जो आईएसओ 9001:2008, क्यूएमएस (क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004, ईएमएस (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) ओएचएसएएस 18001:2007 अर्थात् ओएचएसएमए (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)।

क्यूएमएस अर्थात् आईएसओ 9001:2008 और ईएमएस अर्थात् आईएसओ 14001:2004 ईपीआई के प्रचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत अवधारणा से प्रतिष्ठापन तक बहु–विषयी औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का डिजाइन, प्राप्ति और कार्यान्वयन शामिल है। ओएचएसएमएस अर्थात् ओएचएसएएस 18001:2007 निगमित कार्यालय को लागू है।

28- de|pkfj;k d| l|c/k e| d|iuh vf/kfu;e] 2013 d| v/khu ;Fkk vi|f{kr dkuuh l|puk

वर्ष 2014–15 के दौरान किसी कर्मचारी ने 5,00,000/– रुपए या अधिक या प्रति वर्ष 60,00,000/– रुपए या अधिक का परिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

29- fuxe lkekftd nkf;Ro ¼lh,lvkj½ vkj Hkj.kh;rk

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट mikc/k x के रूप में उपाबद्ध है।

30- e|[; foÙk vf/kdkjh çek.ku

मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

31- tek

कंपनी ने कोई जमा नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नहीं आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

32- l|c/kr i{kdkjk| d| lkFk l|fonkvk| ;k bUr tkek| dh fof'kf"V;k|

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या इन्तजाम में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां mikc/k&?k में संलग्न हैं।

33- pky| le|RFkku çfLFkfr vkj d|iuh d| Hkkoh çpkyu dk| çHkkfor dju| oky| fofu;kedk| ;k U;k;ky;k| ;k vf/kdj.kk| }kjk ikfjr egRoi|.k| vkj rkfRod vkn'kk| d| C;kj|

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो जो कंपनी की चालू समुत्थान प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

34- okf"kd fjVu| dk m)j.k

वार्षिक रिर्टन का उद्धरण इस रिपोर्ट के mikc/k M- पर उपाबद्ध है।

35 vkHkkj

आपके निदेशक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की गहरी प्रशंसा तथा सराहना करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति उनके द्वारा दर्शाए गए विश्वास के प्रति कृतज्ञ हैं तथा उप–ठेकेदारों, विक्रेताओं और सलाहकारों की इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान के लिए प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशक शासकीय लेखापरीक्षकों, कानूनी लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों का उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपके निदेशक ईपीआई के प्रत्येक सदस्य की जिसने ईपीआई की वृद्धि के लिए योगदान दिया है के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा को अभिलेख पर रखने की भी सदिच्छा करते हैं।

ckMl d fy, vkj mldh vkj l

ह0/–

¼,l ih ,l cD’kh ½
v/;{k&lg&çc/k fun’kd
Mhvkbl,u % 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 04 सितम्बर, 2015

foØek fleEgkiqjh fo’ofo|ky;] uykj & i’kklfud Hkou

çc/ku ifjppk vkj fo’y”k.k fjikVl

m|kx l;jpuk vkj fodkl

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 2015 में सरकार के संगठनात्मक सुधार एजेंडा और बेहतर बाह्य मांग, निवेशकों के उच्च विश्वास के कारण महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करने की संभावना है। भारत की चीन गणराज्य से अगले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से वृद्धि करने की आशा है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत पब्लिक प्राइवेट भागीदारियों (पीपीपी) परियोजनाओं की संख्या के निबंधनों में केवल दूसरे स्थान पर है।

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने आकलन किया है कि वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। योजना आयोग ने अपने 12वें पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2012–17) में आशा व्यक्त की है कि अवसंरचना परियोजनाओं में विनिधान 5 वर्ष की योजना अवधि के दौरान 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के बराबर होगा।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार अवसंरचना उद्योग का ध्यान सरकार पर ऐसी नीतियां आरंभ करने पर होगा जो देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना के समयबद्ध सृजन को सुनिश्चत करे। इस क्षेत्र में विद्युत, पुल, बांध, सड़कें और अवसंरचना विकास शामिल है। अप्रैल, 2000 से जनवरी 2015 तक संनिर्माण विकास क्षेत्र में प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान (एफडीआई) 24,028.19 मिलियन अमरीकी डालर था।

Hkkjr ljdkj us fofHkUu igyka dh ;kstuk cukbl gA

1- LekVl ‘kgjk%

भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों की योजना बनाई है और इस परियोजना के लिए वर्ष 2014–15 के अपने बजट में 1.2 बिलियन अमरीकी डालर आबंटित किए हैं। यह अभियान 100 शहरों को कवर करेगा और इसकी योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन मूल्यांकित 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2015–16 से वित्त वर्ष 2019–20) तक की है। सरकार ने 98,000 करोड़ रुपए (15,329.26 मिलियन अमरीकी डालर) की रकम 100 स्मार्ट शहरों को निष्पादित करने के लिए और पुनरूद्वारीकरण और शहरी रूपांतरण (एएमआरयूटी) के लिए आबंटित की है, जो कि 500 शहरों और नगरों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए शहरी पुनरूद्वारीकरण कार्यक्रम है।

2- xxk dh lQkb%

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने 4 विभिन्नि सेक्टरों अर्थात् गंदा जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और नदी फ्रंट विकास के माध्यम से गंगा सफाई अभियान आरंभ कर दिया है। एनजीआरबीए को योजना, वित्तपोषण, मानीटरी तथा समन्वय प्राधिकरण के रूप में गंगा नदी के प्रदूषण का और संरक्षण का प्रभावी उप–शमन करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए जनादेश दिया गया है ताकि वर्ष 2020 तक कोई अनुपचारित नगरपालिक अपशिष्ट या औद्योगिक अवशिष्ट गंगा नदी में न बहे। 4607.82 करोड़ रुपए की एनजीआरबीए कार्यक्रम परियोजनाए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

3- fV;j & 2] fV;j & 3 ‘kgjk dk tkMu d fy, de ykxr d foekuiÙku %

सरकार की संपूर्ण देश में टियर – 2/टियर – 3 शहरों में अगले कुछ वर्षों में 200 निम्न लागत के विमानपत्तनों का विकास करने की योजना है और इस विकास के पहले चरण के अधीन 50 ऐसे नगरों की पहले ही पहचान कर ली गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इन छोटे शहरों को वायु संबद्धता प्रदान करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्न लागत का मॉडल तैयार किया है। नागर विमानन मंत्रालय की विभिन्न राज्यों में 50 नो फ्रिल विमानपत्तनों और ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का विकास करने की योजना है, जो नवी मुंबई, गोवा, कन्नूर, पुणे, श्रीपेरूम्बदूर, बरेली और रायगढ़ में योजनाधीन है।

12वीं योजना के दौरान (31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रही) लगभग 1,500 करोड़ रुपए गैर–महानगर विमानपत्तनों का विकास करने के लिए अलग रखे गए हैं। सरकार टियर–2 नगरों के कुछ विमानपत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में उन्नयन करने पर भी विचार कर रही है। भोपाल, इंदौर और रायपुर के विमानपत्तनों को जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया जाएगा।

4- Hkkjr e iÙkuk dk fodkl %

भारत की मूल अवसंरचना को 5 वर्ष में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यह संघ के सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाज–रानी मंत्री ने राजमार्गों और जहाज–रानी सेक्टरों में वर्ष 2019 तक 10 ट्रिलियन रुपए (158.19 बिलियन अमरीकी डालर) की योजनाओं का अनावरण करते हुए कही। भारत में 13 प्रमुख पत्तन और लगभग 200 अप्रमुख पत्तन हैं। वर्ष 2017 तक माल ढुलाई के 1,758 एमएमटी तक हो जाने की आशा है।

भारत सरकार ने संपूर्ण देश में 101 नदियों को जल मार्गों में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिससे आर्थिक वृद्धि को बल देने के लिए जल परिवहन का संवर्धन किया जा सके। भारत के पत्तनों और सड़क क्षेत्र में एक वृहत् विनिधान की भारतीय जहाज–रानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने की जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बल देने में सहायता प्रदान करने की आशा है।

5- fnYyh &eqcbl vk|kfxd d,jhMkj ¼Mh,evkblh½

सरकार ने अपने विस्तृत रेल नेटवर्क में द्रुत आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक अवसंरचना को तैयार करने के लिए 137 बिलियन अमरीकी डालर का अगले 5 वर्षों में विनिधान करने की योजनाओं का अनावरण किया।

दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर जापान से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ 90 बिलियन अमरीकी डालर की वृहत् अवसंरचना परियोजना है, जो भारत की राजनीतिक राजधानी और व्यापारिक राजधानी अर्थात् दिल्ली और मुंबई के बीच 1483 किलोमीटर की समग्र दूरी को कवर करती है। कॉरीडोर परियोजना का विकास जापान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और यह भारत में योजना बनाई गई सबसे बड़ी अवसरंचना परियोजना है, इसका उद्देश्य नये औद्योगिक नगरों को राज्यों में कॉरीडोर के साथ "स्मार्ट नगरों" का विकास करना है। डीएमआईसी ने 1.2 लाख करोड़ रुपए की नौ परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिसके अंतर्गत मॉडल सौर विद्युत परियोजना नीमराना, दहेज में जल अलवणता परियोजना, उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी परियोजना और वृहत् नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाऊनशिप परियोजना है।

dUnh; fo'ofo|ky; tEeq ifj;kstuk & MhMhbZ Hkou dk mn?kkVu

LokV fo'y"k.k

l|<+rk vkSj [kkfe;k

कंपनी इंजीनियरिंग एवं संनिर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में सेवाओं की व्यापक रेंज का प्रस्ताव कर सकती है और इसकी संपूर्ण भारत में उपस्थिति है। कंपनी ने सिविल इंजीनियरिंग/परियोजना प्रबंधन में अपनी सक्षमता सिद्ध की है और उसमें बहु–विषयक परियोजनाओं को हाथ में लेने की क्षमता है, कंपनी ऋण मुक्त कंपनी है।

कंपनी अत्यंत प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रचालन कर रही है और घरेलू बाजार में अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और प्राइवेट कंपनियों से वह कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है।

volj vkSj pqukSfr;k

सभी अवसंरचना उप–सेक्टरों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में अवसर, अवसंरचना क्षेत्र में सरलीकृत विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मानक, भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिक गठबंधन परियोजना वित्तपोषण और निष्पादन के नए माध्यम जैसे बीओटी/बीओएलटी/बीओओटी, ''भारत में निर्माण'' पहले के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन कंपनी के कारबार अवसरों को और आगे बढ़ाएंगे।

तथापि, यह अवसर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और बाढ़ों से जो संनिर्माण के अवसरों को जिनमें अधिक पूंजी के साथ विभिन्न प्रतिस्पर्धा जिनके पास अधिक वित्त है से भरे बाजार है, से प्रभावित हो सकते हैं।

[kMokj vkSj mRiknokj dk;Z&fu"iknu

कंपनी के आवर्त में सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हथालन एवं विद्युत परियोजनाओं का है। जिसके पश्चात् आवास एवं भवन कार्य हैं जिनकी प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2013–14 में 26.29 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2014–15 में 33.27 प्रतिशत बढ़ गई है। अन्य खंडों की प्रतिशत भागीदारी भी वर्ष 2014–15 के दौरान आंशिक रूप से बढ़ी है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंडवार विश्लेषण प्रस्तुत करती है:

(करोड रूपए में)

Ø- l-	[kM okj ifj;kstuk,a	2012-13		2013-14		2014-15	
		vkor	%	vkor	%	vkor	%
1	आवासन एवं भवन कार्य	471.89	56.14	224.78	26.29	343.12	33.27
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	10.59	1.26	5.74	0.67	5.42	0.53
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हथालन एवं विद्युत परियोजनाएं	323.52	38.48	582.83	68.15	581.42	56.38
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय योजनायें	12.94	1.54	9.57	1.12	44.70	4.33
5	परिवहन संरचनाएं	19.73	2.35	3.02	0.35	13.16	1.28
6	अन्य परियोजनाएं	1.94	0.23	29.22	3.42	43.46	4.21
	;kx	**840.61**	**100**	**855.16**	**100**	**1031.28**	**100**

lHkkouk

भारत सरकार, अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संभव पहल कर रही है। हाल ही में सरकार ने संनिर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नियमों को न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के साथ पूंजी अपेक्षा को कम करके और बाहर निकलने के मानकों को उदार बनाकर शिथिल किया है।

vkrfjd fu;a=.k ç.kkfy;k vkj mudh i;kIrrk

कंपनी में एक प्रभावी और सुदृढ़ आंतरिक प्रणाली है जो कारबार के संचालन, नीतियों और योजनाओं का अनुपालन, आस्तियों के सुरक्षापायों और विद्यमान विधियों और विनियमों के अनुपालन का सुनिश्चय करती है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक (वित्त) के रैंक के अर्हित और अनुभवी अधिकारी द्वारा की जाती है, जो सिधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है, उसकी सहायता एक व्यावसायिक रूप से अर्हित और अनुभवी कार्मिकों के दल द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की सिफारिशों और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा प्रबंध और लेखापरीक्षा समिति द्वारा इन प्रणालियों को सतत् रूप से सुदृढ़ करने की ओर एक कदम के रूप में आवधिक रूप से की जाती है।

fHkykbZ bLikr l;a= & dUo;j xyjh d lkFk tD’ku gkÅl

çpkyu dk;&fu”iknu d lc/k e foÙkh; dk;&fu”iknu ij ppk

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 85517 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में 103128 लाख रूपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के 2611 लाख रूपए के कर–पूर्व लाभ की तुलना में 4121 लाख रूपए का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के 3652 लाख रूपए की तुलना में 4926 लाख रुपए रहा।

कंपनी का शुद्ध मूल्य 1852 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 19779 लाख रूपए की तुलना में वर्ष 2014–15 में 21631 लाख रुपए हो गया।

बोर्ड ने 708.45 लाख रुपए के लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत है।

jk”Vh; ik|kfxdh lLFkku] jk;ij

ekuo llk/ku] vk|kfxd lc/k ep ftld vrxr 0;olk;h ykxk dh l[;k g] e rkfRod fodkl

विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संगठन के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट विशेषीकृत कौशलों की आवश्यकता होती है। कंपनी का इस समय ध्यान चालू परियोजनाओं के साथ भारत और विदेशों में प्राप्त की गई नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त कौशल को लेने पर है। कंपनी का ध्येय संगठन के साथ वृद्धि करने के लिए प्रतिभा के सही मिश्रण को प्राप्त करना है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल रहे। कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों पर भी विचार किया जाता है।

i;kZoj.kh; j{k.k vkSj lj{k.k] rduhdh lj{k.k] fon'kh eæk dk lj{k.k

d½ i;kZoj.kh; j{k.k ,o lj{k.k

कंपनी ने एकीकृत पर्यावास निर्धारण (जीआरआईएचए) मानकों को परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन के लिए हरित रेटिंग को स्वीकार किया है, जिसका परिणाम पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। राजगीर में बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी परियोजना में भस्म ईंटों और पोटलैंड पोज्जोलाना सीमेंट, वृक्षारोपण, व्हील वाशिंग सुविधा, वाटर हारवेस्टिंग, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और विंड ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश आदि जैसे गहन पर्यावरण अनुरूपी उपायों को हाथ में लिया गया, जो जीआरआईएचए से 5 स्टार रेटिंग के लिए अर्हित होंगे। जम्मू विश्वविद्यालय परिसर का संपूर्ण रूप से संनिर्माण जीआरआईएचए मानकों के अनुसार किया गया है। जीआरआईएचए मानकों का आयकर भवन, नई दिल्ली की सज्जाक और पूर्ण करने के कार्य में भी अनुसरण किया गया है और कंपनी ने जीआरआईएचए से 2 स्टार रेटिंग अभिप्राप्त की है।

[k½ çkS|kSfxdh; lj{k.k

प्रौद्योगिकीय संरक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई चूना पत्थर/क्लिकरों जैसी खदानों से निकाली गई सामग्रियों का सड़कों और दीवार की नींव के लिए परियोजना स्थलों पर स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर रहा है। इसका परिणाम संनिर्माण लागत में बचत के रूप में हुआ है।

x½ fon'kh eæk lj{k.k

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रीयों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बहिर्गम को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वंय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परिक्षण और जांचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

lpr dju okyk fooj.k

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

fuxe 'kklu ij fjiksVZ

1- fuxe 'kklu ij dEiuh dk n'kZu

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य का वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी –दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है :

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है''।

2- funs'kd cksMZ

¼d½ cksMZ dh lajpuk

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात् भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

इस समय छह निदेशक पदारूढ़ हैं अर्थात् अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (वित्त) दो अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारी नामनिर्देशिती) और एक अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)। दो पूर्णकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) के पद रिक्त हैं। इस समय ईपीआई के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है । प्रशासनिक मंत्रालय को इस स्थिति से अवगत करवा दिया गया है ।

¼[k½ funs'kd cksMZ dh lajpuk ds vykok funs'kd dh Js.kh cksMZ dh cSBdksa vkSj okf"kZd lk/kkj.k cSBd ¼,th,e½ esa mifLFkfr vkSj o"kZ 2014&15 ds nkSjku /kkfjr vU; funs'kd in uhps fn, vuqlkj gS%

funs'kdksa dk uke	Js.kh	Hkkx yh xbZ cksMZ dh cSBd	,th,e ftlesa Hkkx fy;k x;k	vU; ifCyd dEifu;ksa esa /kkfjr funs'kd inksa dh la[;k ¼ftlds vUrxZr bZihvkbZ ugha gS½	vof/k
¼d½ i.kZdkfyd@—R;dkjh funs'kd					
Jh ,l ih ,l cD'kh डीआईएन : 02548430	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	8/8	हां	शून्य	05.02.2009 के प्रभाव से
Jh ohus xksiky डीआईएनः 05173442	निदेशक (परियोजनाएं)	8/8	हां	शून्य	02.01.2012 के प्रभाव से

Jh ,-oh-oh- —".ku डीआईएनः 06404202	निदेशक (वित्त)	8/8	हां	शून्य	10.10.2013 के प्रभाव से
¼[k½ ljdkjh ukefunsZ'krh@va'kdkfyd 'kkldh; funs'kd					
Jh vkj- ds- flag संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 06459343	निदेशक	7/8	नहीं	5 (एसआईएल, एवाईसीएल, टीडब्ल्यूओसीएल, बीएचईएल)*	30.11.2012 के प्रभावी से
Jh ,l- ,l- nccj प्रधान लेखा नियंत्रक (सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 06601151	निदेशक	6/8	नहीं	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	08.05.2013 के प्रभाव से
¼x½ Lora= funs'kd@va'kdkfyd ¼xSj&'kkldh;½ funs'kd					
M,- ds- ,l- jko प्रोफेसर, वाणिज्य और प्रबंध अध्ययन विभाग, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम डीआईएनः 03383447	निदेशक	8/8	हां	शून्य	04.02.2014 के प्रभाव से (पूर्व में 16.12.2010 से 15.12.2013 तक)

*bLrseky fd, x, laf{kIrk{kj % एसआईएल–स्कूटर इंडिया लिमिटेड, एवाईसीएल–एण्ड्रयू यूल कंपनी लिमिटेड, टी डव्ल्यूओसीएल–टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड, बीएचईएल–भारत हैबी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ।

पिछली वार्षिक रिपोर्ट से कंपनी की निदेशकता में कोई परिवर्तन नहीं है ।

¼x½ cksMZ dh çfØ;k

निदेशक बोर्ड की मुख्य भूमिका कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने की है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बोर्ड अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालन प्रस्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव ये सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सूसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं । निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात् किए जाते हैं।

¼?k½ cksMZ dh cSBdksa dh la[;k%

वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक बोर्ड की आठ (8) बैठकें आयोजित की गई थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

Øe la-	cSBd dh rkjh[k	cksMZ dh la[;k	mifLFkr funs'kdksa dh la[;k
1.	23.04.2014	6	6
2.	21.07.2014	6	5
3.	28.07.2014	6	6
4.	25.08.2014	6	6
5.	29.09.2014	6	4
6.	15.12.2014	6	6
7.	10.03.2015	6	6
8.	26.03.2015	6	6

¼³½ bl le; cksMZ esa] funs’kdksa dk lf{kIr lkj ftlds varxZr os Hkh gSa tks o”kZ 2014&15 ds nkSjku cksMZ esa ‘kkfey gq,A

I) Jh ,l ih ,l cD’kh] v/;{k&lg&çca/k funs’kd

श्री एस पी एस बक्शी, तारीख 05.02.2009 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए, श्री बक्शी हाईवेज एवं ट्रांस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और मानव संसाधन विकास में एमबीए हैं। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, यूएसए के फैलो सदस्य हैं। श्री बक्शी को अद्योपांत आधार पर परियोजना योजना एवं प्रबंधन में वृहत भवनों एवं विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में 34 वर्ष का व्यापक और समग्र अनुभव है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाओं को भी संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुख्य अवसंरचना विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं को भी संभाला है।

II) Jh ohuw xksiky] funs’kd ¼ifj;kstuk,a½

श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) तारीख 02.01.2012 को शामिल हुए। वह व्यापक अनुभव रखने वाले एक सिविल इंजीनियर है और उनका विभिन्नतापूर्ण अनुभव रेल, हाईवे, पुल एवं भवनों के क्षेत्र में लागत आकलन, निविदा, कारबार विकास, संविदा प्रबंधन, आयोजना एवं परियोजना निष्पादन में 35 वर्ष से अधिक अवधि का है। श्री वीनू गोपाल ने भारत और विदेशों में बहु विषयी परियोजनाओं को जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाएं हैं, को संभाला है। ईपीआई में शामिल होने से पूर्व, श्री वीनू गोपाल ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम के साथ कार्य किया है।

III) Jh ,-oh-oh- —".ku] funs'kd ¼foÙk½

श्री ए.वी.वी. कृष्णन, तारीख 10.10.2013 को ईपीआई में निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल हुए। उन्हें वित्त लेखा/लेखापरीक्षा का भारत और विदेश में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सहबद्ध सदस्य है और वह वाणिज्यक में स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। श्री कृष्णन को भारत से बाहर साउदी अरब, मॉरीशस और कुवैत में विभिन्न परियोजनाओं में तैनात किया गया है। श्री कृष्णन को लगभग वित्त के सभी क्षेत्रों अर्थात् बैंकिंग, बीमा, विदेशी मुद्रा हैजिंग, निविदाकरण, लागत आकलन, परियोजना मॉनीटरी आदि में अनुभव है। उन्हें सचिवालयी और विधिक मामलों को भी अच्छा और समग्र अनुभव है। ईपीआई में शामिल होने से पहले श्री कृष्णन ने टीसीआईएल, एलएमएल, टाटा स्टील आदि में कार्य किया।

IV) Jh vkj- d- flag] ljdkjh ukefunsf'krh

श्री राजेश कुमार सिंह, भारत सरकार के नामनिर्देशिती के रूप में तारीख 30.11.2012 को अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में ईपीआई में शामिल हुए। श्री सिंह 1991 के बैच के एक आईएएस अधिकारी है। वह मैकेनिकल इंजीनियरी में बी.टेक हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ताप इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी में निष्णात किया है। उन्हें लोक प्रशासन और सरकारी मुद्दों का भू–राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, पर्यावरण और वन, युवा मामले और खेल, शहरी विकास, श्रम और नियोजन, मानव संसाधन विकास, कृषि और सहकारिता, जल संसाधन आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस समय वह भारी उद्योग विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव का पद धारण कर रहे हैं। उन्हें अनेक नूतन योजनाओं को लाने का श्रेय दिया जाता है जिनका परिणाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में और उत्तर प्रदेश के कृषि विपणन विभाग में पथ से हटकर रहा है।

V) Jh ,l- ,l- nwcs] ljdkjh ukefunsf'krh

श्री श्याम सुन्दर दूबे, भारत सरकार के नामनिर्देशिती के रूप में तारीख 08.05.2013 को ईपीआई में अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में शामिल हुए। श्री दूबे 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने बीएससी (जीव विज्ञान), एमएससी (मनोविज्ञान), एमफिल (राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन) किया है और वह अंतर्राष्ट्रीय कारबार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। उन्हें लेखा, लेखापरीक्षा, वित्ति, व्यय नियंत्रण, बजटिंग, कार्यालय प्रशासन और कार्यक्रम प्रबंधन एवं खरीद के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों में 22 वर्ष से अधिक का व्यापक, विभिन्न्तापूर्ण और बहुविषयी अनुभव है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में खरीद लाजिस्टिक के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने लोक व्यय प्रबंधन, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और विश्व व्यापार संगठन, लाजिस्टिक अधिकारियों के लिए तकनीकी क्षेत्र प्रचालन प्रशिक्षण, लाजिस्टिक और खरीद से संबंधित क्षेत्रों में कार्यशाला, सुरक्षा क्षेत्र जागरूकता प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। इस समय वह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, मध्यम, लघु एवं सुक्ष्म उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

VI) M,- d- ,l- jko] Lor= fun'kd

डॉ. के. एस. राव, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। श्री राव ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 16 दिसम्बर, 2010 को शामिल हुए। उन्हें वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का व्यापक शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव है। वह अखिल भारतीय वाणिज्य संघ, केरल वाणिज्य संघ, भारतीय लेखांकन संघ के आजीवन सदस्य हैं और वह अनुसंधान विकास संघ के सदस्य है। डॉ. राव को वर्ष (1990) में वाणिज्य में, ''यूजीसी कैरियर पुरस्कार'' प्रदान किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद, केंद्रीय उच्चत्तर शिक्षा बोर्ड और पंडित सुन्दर लाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल आदि विभिन्न शैक्षिक निकायों के साथ सहबद्ध हैं। उन्होंने विभिन्न प्रख्यात पत्रों में अनेक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। वह एम.फिल और पीएचडी उपाधियों के लिए अनेक अध्येताओं के मार्गदर्शक भी हैं।

¼p½ fun'kdk dh fu;fä

अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, (महिला निदेशकों सहित) सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि एजीएम की सूचना में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई मद हो, जो निदेशकों की कुल संख्या के दो/तिहाई से अन्यून के व्यक्तियों के रूप में होने की अपेक्षा का अवधारण करती है जिनकी पदावधि साधारण बैठक में निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त द्वारा अवधारित किए जाने की दायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार धारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्ति की बाबत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लागू नहीं होते है।

इसके अतिरिक्त दोनों अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नियुक्त अपने प्रशासनिक मंत्रालय में उनके पद के कारण पदधारण करते है) और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नियत अवधि के लिए की जाती है जिसके कारण किसी निदेशक को प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में वास्तविक रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 को प्रभावी करना संभव नहीं है।

3- y[kkijh{kk lfefr

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का बोर्ड द्वारा सम्यक्ता गठन किया गया है, जिसकी शक्तियां और भूमिका निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शन सिद्धांतो और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में परिभाषित हैं।

निदेशकों में परिवर्तन के साथ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति को तारीख 21.07.2014 को निम्नलिखित सदस्यो के साथ पुनः गठित किया गया है :

1. डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;
2. श्री आर.के. सिंह, सरकारी नामनिर्देशिती, सदस्य;
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं), सदस्य;
4. श्री एस. एस. दूबे, सरकारी नामनिर्देशिती, सदस्य;

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की तारीख 23.04.2014, तारीख 21.07.2014, तारीख 25.08.2014, तारीख 29.09. 2014, तारीख 15.12.2014, और 26.03.2014 तक 6 बैठकें आयोजित की गई थीं।

mifLFkfr dk C;kSjk uhps fn, vuqlkj gS &

lnL;	Øe'k% mudh inkof/k dk nkSjku vk;ksftr dh xbZ cSBdksa dh la[;k	cSBdksa dh la[;k ftuesa Hkkx fy;k x;k
डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष	6	6
श्री आर. के. सिंह, अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य	6	5
श्री एस. एस. दूबे, अंशकालिक शासकीय निदेशक– सदस्य	6	4
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं), सदस्य	6	6

ys[kkijh{kk lfefr ds funsZ'k ds fucU/ku

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और मानीटरी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जाँच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा।
6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मानीटरी।
9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।
10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जाँच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्त्रोतों से व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुन. र्विलोकन :

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।

    ख. बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।

    ग. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों और उसके कारण।

    घ. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

    ङ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

    च. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

    छ. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन।

    ज. प्ररूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शर्तें।

15. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलो. कन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखा परीक्षा पश्चात् किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चीजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित

    सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी :

    क. निर्देश के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच ।

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना ।

    ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना।

    घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

    ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी :

    क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;

    ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण;

    ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

    घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

    ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

    च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणन/वित्तीय घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4- fun'kd ckM dh vU; lfefr;k

बोर्ड की निम्नलिखित दो अन्य समितियां हैं :

i½ fuxe lkekftd nkf;Ro vkj Hkj.kh;rk lfefr

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तारीख 07.02.2014 को पुनर्गठित) पुनरीक्षित निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता तथा कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसरण में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है।

समिति में निम्निलिखित सदस्य है।

1. डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष ;
2. श्री ए.वी.वी कृष्णन, निदेशक (वित्त), सदस्य ;
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं), सदस्य ;

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति ने तारीख 25.06.2014, तारीख 29.09.2014, तारीख 15.12.2014 और तारीख 26.03.2015 को चार बैठकें की ।

mifLFkfr d C;kjs fuEukuqlkj g &

uke	Øe'k% mudh inkof/k d nkjku vk;kftr dh xbl cBdk dh l[;k	cBdk dh l[;k ftue Hkkx fy;k x;k
डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष	4	4
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)–सदस्य	4	3
श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त)–सदस्य	4	4

कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता एजेंडा के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारियों के एक दल का भी गठन किया गया है।

कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों के अधीन हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट के अनुरूप में उपाबद्ध है।

ii½ ikfjJfed lfefr

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है।

समिति का तारीख 10.03.2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :

1. डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष ;
2. श्री आर.के. सिंह, अंशकालिक सरकारी नामनिर्देशिती, सदस्य ;
3. श्री एस. एस. दूबे, अंशकालिक सरकारी नामनिर्देशिती, सदस्यः

श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) पूर्वोक्त पारिश्रमिक समिति में स्थायी आमंत्रित होंगे ।

वर्ष के दौरान डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए उपबंध किया तथापि, पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5- vU; lfefr;k

कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों से मिलकर बनने वाली (अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे) निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

'k;j vUrj.k lfefr

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान एमसीएस लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर अंतरक अभिकर्ता और तत्पश्चात् अप्रैल, 2015 से एमसीएस शेयर अंतरक अभिकर्ता लिमिटेड को शेयर अंतरण को रजिस्टर करने और निक्षेपागारों आदि के साथ समन्वय करने के लिए एमसीएस लिमिटेड को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति किया गया है।

शेयर अंतरण समिति में निम्नलिखित दो अधिकारी अर्थात् विभाग प्रमुख, वित्त प्रभाग, विभाग प्रमुख, विधिक प्रभाग और विभाग प्रमुख संविदा प्रभाग हैं। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ ।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येखक 909,404,600 ईक्विपटी शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 ईक्विपटी शेयरों में विभाजित) है ।

31 मार्च, 2015 को कंपनी के शेयर धारकों का पैटर्न निम्नानुसार है:

Øe l-	'k;j /kkjd dk uke	'k;jk dh l[;k	çfr'kr /kfr
1	भारत का राष्ट्रपति, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम विभाग	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं	7011	0.02

tkf[ke çc/ku

ईपीआई ने कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना की है। जोखिम प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य जोखिम की पहचान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसे कम करने के लिए एक अवसंरचना को परिभाषित करना है ताकि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को, संगठन में विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सहायता करके उसमें सुधार करने का उपबंध किया जा सके।

वर्ष के दौरान ''उपक्रम जोखिम प्रबंधन'' पर एक कार्यशाला के लिए कार्मिकों को नामनिर्दिष्ट किया गया था । इस कार्यशाला को केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में उपक्रम जोखिम प्रबंधन के सार को ग्रहण करने, निर्धारण की विरचना

करते समय जोखिम की परस्पर निर्भरता को समझने और चर्चा करने, जोखिम प्रत्युत्तर, जोखिम विश्लेषण, जोखिम वांछा और प्रबंधन दूर दृष्टि की महत्ता को फलीभूत करने के लिए भी डिजाइन किया गया था ।

tkf[ke çca/ku lfefr

जोखिम प्रबंधन समिति दो टायर ढांचे अर्थात् पांच सदस्यीय निगम स्तरीय समिति से मिलकर बनी है जिसको प्रत्यक्षतः नियंत्रित, पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित निदेशक (परियोजनाएं) द्वारा किया जाएगा और चार प्रादेशिक स्तरीय समितियां प्रदेश प्रमुखों से मिलकर बनी है, जो प्रादेशिक/साइट स्तर पर नियमित आधार पर निगम स्तरीय समिति को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगी ।

6- çdVu

i) वर्ष 2014–15 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

d- —R;dkjh@iw.kZdkfyd funs'kd ¼

¼:i, esa½

funs'kdksa dk uke	osru	ykHk	ifjyfC/k;k¡	;ksx
श्री एस. पी. एस. बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	24,40,964	12,17,682	-	36,58,646
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	22,29,676	8,54,935	-	30,84,611
श्री ए.वी.वी. कृष्णन निदेशक (वित्त)	21,35,712	8,35,738	-	29,71,450

[k ¼ Lora= funs'kd ¼

¼:i, esa½

funs'kd dk uke	cSBd Qhl		dqy
	cksMZ cSBd	lfefr cSBd	
डॉ. के. एस. राव	80,000	75,000	1,55,000

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की प्रति बैठक 10,000 रुपए की बैठक फीस के और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 7,500 रुपए की बैठक फीस के हकदार हैं।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तद्नुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 75,000 रुपए – 90,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 65,000 रुपए – 75,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ग' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कंपनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखाओं की टिप्पणियों के भाग से लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोध्यों की प्रस्थिति के साथ नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई –दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कंपनी बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के सिवाय क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में है, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपतीय विनिदेश जारी नहीं किया गया था।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा विकलित नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय वर्ष 2013–14 में 2.43 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 3.02 प्रतिशत रहे हैं। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय वर्ष 2013–14 में 0.69 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 1.09 प्रतिशत रहे हैं। प्रशासनिक व्ययों में कमी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और व्ययों की नजदीकी मानीटरी के कारण हुई है ।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र mikc/k [k1 पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.epi.gov.in) कंपनी के अधिकारी समाचारों को जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और भर्ती के अवसरों आदि को प्रदर्शित करती है।

7- lk/kkj.k fudk; dh cBd %

i) diuh dh fiNyh rhu okf"kd lk/kkj.k cBdk d C;kj uhp fn, vu|lkj g %

, th,e	foRrh; o"k	, th,e dh rkjh[k vkj le;	LFkku ¼itheir dk;ky;½
44वीं	2013-14	29 सितम्बर, 2014 को 3.00 बजे सायं	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
43वीं	2012-13	30 सितम्बर, 2013 को 3.00 बजे सायं	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
42वीं	2011-12	28 सितम्बर, 2012 को 5.00 बजे सायं	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्ति वर्ष 2014–15 के लिए 45वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दिन, तारीख, समय, वार्षिक साधारण बैठक का स्थल, रूट मानचित्र के साथ अंतर्विष्ट है ।

ii) fiNyh rhu okf”kd lo lk/kkj d cBd ¼,th,e½ e ikfjr fo’k”k ldYik d C;kj

,th,e	foÙkh; o"k	ikfjr fo'k"k ldYi d C;kj
44वीं	2013-14	शून्य
43वीं	2012-13	शून्य
42वीं	2011-12	शून्य

8- lpuk dk vf/kdkj

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने समूह महाप्रबंधक (पी एण्ड एम) स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चैन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कंपनी का कार्यकारी निदेशक सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार, 2005 के अधीन रिपोर्ट के तहत् अनुरोध की गई सूचना को उपदर्शित समय के भीतर 52 आवेदकों को प्रदान की गई।

9- ‘k;j/kkjdk d lkFk lid d lk/ku

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद के समक्ष भी रखा जाता है । वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

10- y[kkijh{kk fVIif.k;k

कानूनी संपरीक्षकों और सचिवालयी संपरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है । निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक परिशिष्ट के रूप में उपाबद्ध कर दिया जाएगा।

11- fun’kd ckM dk çf’k{k.k

कंपनी, कंपनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त, प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, आईसीएसआई द्वारा निदेशकों की भूमिका और दायित्व पर प्रकाशित पुस्तिका आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा आयोजित सेमिनारों/संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

12- lpuk çnkrk uhfr

वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षापायों का उपबंध करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का उपबंध करती है ।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी । यह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का उपबंध करती है ।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

13- vkpkj lafgrk

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पद पर पोस्ट किया गया है। कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और मुख्य अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ mikc/k [k2 के रूप में उपाबद्ध है।

इसके अतिरिक्त डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

14- vuqikyuk çek.ki=

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करती है। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट से mic/k [k3 के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

b,lvkbZlh ifj;kstuk] Tkkdk] dksydkrk & u;k Nk=kokl Hkou

diuh d e[; dk;ldkjh vf/kdkjh vkj e[; foÙkh; vf/kdkjh }kjk foÙkh; fooj.kk dk çek.ku@?kk"k.kk

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो ;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती है और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं ;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है ;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते है तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है ;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नालिखित इंगित कर दिया है ।

   क) वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वापूर्ण परिवर्तन ;

   ख) वर्ष 2014–15 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है: और

   ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह0/–
¼,- oh- oh- —".ku½
fun'kd ¼foÙk½ vkj
e[; foÙkh; vf/kdkjh

ह0/–
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çc/k fun'kd
vkj e[; dk;ldkjh vf/kdkjh

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 सितम्बर, 2015

v/;{k&lg&çc/k funs'kd }kjk foÙkh; o"kZ 2014&15 ds nkSjku cksMZ ds lnL;ksa vkSj T;s"B çc/ku }kjk vkpkj lafgrk dh vuqikyuk ds lac/k esa ?kks"k.kkA

मैं, एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष 2014–15 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह0/–
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çc/k funs'kd
MhvkbZ,u % 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 सितम्बर, 2015

vkbZVhchih tcyiqj ifj;kstuk & iz'kklfud Cykd

fuxe 'kklu çek.ki=

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट् (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7,
इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
दिल्लीं–110003

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8) / 2005–जीएम, जो मूलत : 22.06.2007 को जारी की गई थी और जिसका पुनरीक्षण लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था में उपदर्शित, (केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों ''की जांच कर ली है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है)।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों के सिवाय कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के जो कि सरकार द्वारा की जा रही है और यह ज्ञात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, अनुपालना की है।

हम आगे यह और कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते , thch ,.M ,lkfl,Vl
कंपनी सेक्रेटरीज

ह0/–
fufru jkor
(भागीदार)
सी. पी. संख्या 10554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12/08/2015

fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro vkj Hkj.kh;rk fjikVZ

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक और स्थायी छाप सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

lh,lvkj fotu

''अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

lh,lvkj mís';

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत् का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और अधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है ।

o"kZ 2014&15 dh nkjku dk;Zdyki

कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलाप हाथ में लिए :–

1- LoPN fo|ky; vfHk;ku dh v/khu 10 ljdkjh fo|ky;ksa esa 'kkpky;ksa dk lfuekZ.k %

ईपीआई को 13 शौचालय आबंटित किए गए हैं अर्थात् असम राज्य में 8 शौचालय और पश्चिम बंगाल राज्य में 5 शौचालय। इन 13 शौचालयों में से 12 शौचालय का सनिर्माण (असम में 8 और पश्चिम बंगाल में 4) कर लिया गया था और उन्हें संबंधित विद्यालय प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य में 1 शौचालय के संनिर्माण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य प्राधिकारियों को शौचालयों के संनिर्माण के लिए निधियां अंतरित कर दी गई हैं।

2- LoPN fo|ky; vfHk;ku dh v/khu vxzh—r fo|ky;ksa dh pkjksa vksj lkSj çdk'k %

विद्यालयों (असम में 5 विद्यालय और पश्चिम बंगाल में 4 विद्यालय जिसके अंतर्गत वे विद्यालय सम्मिलित नहीं हैं जहां निधियों को राज्य प्राधिकारियों को अंतरित कर दिया गया है) में और उनके चारों ओर सौर प्रकाश का प्रबंध किया गया है।

3- laln vkn'kZ xzke ;kstuk Ldhe dh v/khu eLrwj xzke iapk;r esa lkSj çdk'k %

संसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अधीन कर्नाटक राज्य में मस्तूर ग्राम पंचायत में सौर प्रकाश का प्रबंध करने के लिए कार्य आदेश वर्ष 2014–15 के अनुमोदित बजट के लिए वर्ष 2015–16 में दे दिया जाएगा।

LoPN fo|ky; vfHk;ku d rgr ‘kkpky; fuek.k lkj idk’k iko/kku d lkFk

o"k 2015&16 d fy, ;ktuk

ctV

14.74 लाख रुपए की रकम जो तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत है (अर्थात् 1822.05 लाख रुपए [2012–13], 1125.58 लाख रुपए [2013–14], और 736.73 लाख रुपए [2014–15] जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से लाभ शामिल नहीं है)। को वर्ष 2015–16 के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए आबंटित किया गया है।

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट mikc/k x1 पर है।

fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro dk;Zdykiksa ij okf"kZd fjiksVZ

1- dEiuh dh fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro uhfr ij ,d laf{kIr :ijs[kk ftlds vUrxZr gkFk esa yh tkus okyh çLrkfor ifj;kstukvksa ;k dk;ZØeksa ij ,d fogaxe –f"V vkSj fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro uhfr rFkk ifj;kstukvksa ;k dk;ZØeksa ij osc fyad dk çfrfunsZ'k Hkh gS%

ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का उपबंध करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

साधारणतया निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों को ईपीआई कार्यालय और परियोजना स्थल अवस्थानों के चारों ओर विशेषीकृत अभिकरणों गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं आदि को नियोजित करके किया जाता है।

प्रत्येक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों की प्रत्येक प्रगति को निदेशक बोर्ड के साथ बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति के समक्ष रखा गया है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.epi.gov.in पद पर भी उपलब्ध है।

2- fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr dh lajpuk%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार ईपीआई के पास बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

बोर्ड स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है –

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरचना करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो अनुसूची–7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी करना।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति का गठन निम्नानुसार था–

डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)	–	सदस्य
श्री ए. वी. वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त)	–	सदस्य

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति की बैठकों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

ईपीआई में बोर्ड स्तर से नीचे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

3- fiNy rhu foÙkh; o"k d fy, diuh dk vkl r 'k) ykHk %

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 2,196.82 लाख रुपए था।

4- fofgr fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro 0;; ¼Åij en 3 e jde dk 2 çfr'kr½ %

वर्ष 2014–15 के दौरान विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय 43.93 लाख रुपए था (2,196.82 लाख रुपए का 2 प्रतिशत)।

5- foÙk o"k d nkjku fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro 0;; d C;kj %

¼d½ foÙkh; o"k 2014&15 d fy, [kpZ dh tku okyh dqy jde &

वर्ष 2014–15 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भरणीयता कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए 51.79 लाख रुपए का कुल बजट उपलब्ध था । जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत 7.86 लाख रुपए का व्यय नहीं किया गया शेष और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटन के लिए 43.93 लाख रुपए (2,196.82 लाख रुपए का 2 प्रतिशत) भी शामिल है।

¼[k½ 0;; u dh xbl jde] ;fn dksbl gks %

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सीपीएसई की भरणीयता पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना में 27.67 लाख रुपए वर्ष 2014–15 में अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लिए उपायोजन अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किए जाएंगे। इसमें से तारीख 31.03.2015 के पश्चात् 12.95 लाख रुपए उन कार्यकलापों के लिए पहले ही व्यय किए जा चुके हैं जिनका कार्य आदेश वर्ष 2014–15 में दिया गया था और मस्तूर ग्राम पंचायत में सौर प्रकाश का प्रबंध करने के लिए वर्ष 2014–15 के अनुमोदित बजट में से 13.20 लाख रुपए के कुल मूल्य पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 लाख रुपए के शेष को अग्रणीत करने की और वर्ष 2015–16 में कार्यकलापों के लिए उपायोजित करने की आशा है।

¼x½ og jhfr ftlen foÙk o"k d nkjku jde 0;; dh xbl g] d C;kj uhp fn, x, g &

(लाख रुपए में)

Ø-l-	lh,lvkj ifj;kstuk ;k igpkuk x;k dk;ZdykiA	og lDVj ftlen ifj;kstuk doj gksrh gA	ifj;kstuk,a ;k dk;Øe ¼1½ LFkkuh; {ks= ;k vU; ¼2½ ml jkT; vkj ftys dk fofufn"V djsa] tgka ifj;kstuk ;k dk;Øe gkFk esa fy;k x;k FkkA	ifj;kstuk ;k dk;Øe& okj jde ifj0;; ¼ctV½	ifj;kstuk,a ;k dk;Øe ftu ij jde 0;; dh xbl mi&'kh"kZ % 1- ifj;kstuk vkj ;k dk;Øeksa ij çR;{k 0;; 2- mijh 'kh"kZ %	fjiksVZ djus dh vof/k rd lap;h 0;;A	0;; dh xbl jde % çR;{k ;k dk;kZUo;u vfHkdj.k ds ek/;e ls
1.	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन असम और पश्चिम बंगाल राज्य में 10सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का संनिर्माण	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 का खंड 1(i),	1. स्थानीय क्षेत्र 2. जिला असम का धुबरी, बारपेटा एवं हेलाकांडी और पश्चिम बंगाल का पूर्व मैदिनीपुर	28.00	17.94	17.94	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके प्रत्यक्ष

2.	सौर प्रकाश का प्रबंध –		1. स्थानीय क्षेत्र				
	i) उन विद्यालयों में और उनके चारों ओर जहां शौचालयों का संनिर्माण हाथ में लिया गया है।	[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 का खंड 1 (iv)]	2. जिला :– असम का धुबरी, बारपेटा एवं हेलाकांडी और पश्चिम बंगाल का पूर्व मैदिनीपुर	11	4.39	4.39	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके प्रत्यक्ष
	ii) संसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अधीन कर्नाटक में मस्तूर ग्राम में सौर प्रकाश		1. स्थानीय क्षेत्र 2. जिला:– मस्तूर ग्राम, सिद्धिहाल्ली ग्राम और एमएम केरे ग्राम, दावणगेरे, कर्नाटक	11	13.20 लाख रुपए के कार्य आदेश को देने के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।		कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (केईओएनआईसीएस), कर्नाटक सरकार का उपक्रम
3.	आस्मिकताएं	.	.	1.79	.	.	
4.	समुदाय विकास कार्यक्रम (वर्ष 2013–14 से संबंधित कार्यकलाप)	.	1. स्थानीय क्षेत्र 2. जिला : नालंदा जिला, बिहार	.	(2.62–0.84*)= 1.78	1.78	मानवीय लोगों से लोग, भारत
	;kx			51.79	24.11	24.11	

*वर्ष 2013–14 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लेखे जिसके अंतर्गत एचपीपीआई से आस्तियों की वसूली पर प्रत्यय की गई रकम भी है। अनुमोदित कार्यकलापों का कार्यान्वयन प्रचालन संबंधी कठिनाईयों के कारण प्रभावित हुआ। इन परियोजनाओं को अग्रणीत किया जा रहा है और इन परियोजनाओं पर व्यय न की गई रकम तथापि व्ययगत नहीं होगी और उसे भी अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा रहा है।

6- dEiuh }kjk fiNys rhu foÙkh; o"kksZa ;k mudss fdlh Hkkx ds fy, vkSlr 'kq) ykHk ds 2 çfr'kr dks 0;; djus esa vlQy jgus dh n'kk esa dEiuh viuh cksMZ fjiksVZ esa jde dks 0;; u djus ds dkj.kksa dks crk,xhA

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 22.33 लाख रुपए का अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लिए संदाय किया गया था और 1.78 लाख रुपए (शुद्ध) को पूर्ववर्ती वर्ष (2013–14) में हाल में लिए गए कार्यकलापों का संदाय करने के लिए व्यय किया गया। तथापि, अनुमोदित कार्यकलापों का कार्यान्वयन प्रचालन कठिनाइयों जैसे विद्यालय परिसरों में भूमि की अनुपलब्धता, बरसात के कारण कार्य में व्यवधान, प्रारंभिक सर्वेक्षण आदि के कारण प्रभावित हुआ। इन परियोजनाओं को अग्रणीत किया जा रहा है और इन परियोजनाओं के लिए व्यय न की गई रकम व्ययगत होने नहीं जा रही है और उसे भी अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा रहा है।

7- fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr dk mÙkjnkf;Ro fooj.k fd fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro uhfr dh e,uhVjh fuxe lkekftd mÙkjnkf;Ro mís';ksa rFkk dEiuh dh uhfr dh vuqikyuk ds vuqlkj gSA

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने पुष्टि की है कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों और नीति के अनुसार है।

ह0/– fun'kd&foÙk

ह0/– v/;{k lh,lvkj lfefr

तारीख : 21/08/2015
स्थान : नई दिल्ली

mikc/k ?k

ç:i l[;k ,vklh&2

¼vf/kfu;e dh /kkjk 134 dh mi/kkjk ¼3½ d [kM ¼t½ vkj diuh ¼y[kk½
fu;e] 2014 d fu;e 8¼2½ d vuljk.k e½

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररूप ।

1. उन संविदाओं या इन्तजामों या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

Ø-l-	fof'kf"V;k	C;kj
क)	संबंधित पक्षकार (रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड)	ऐसी संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का न्यायोचित्य	शून्य
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथा–अपेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के ब्यौरे

Ø-l-	fof'kf"V;k	C;kj
क)	संबंधित पक्षकार (रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य

ckM d fy, vkj mldh vkj l

ह0/–
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çc/k fun'kd
Mhvkbu % 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 04 सितम्बर, 2015

ç:i la[;k ,e thVh&9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में}

I- jftLVªhdj.k vkSj vU; C;kSjs%

i) सीआईएनः –यू27109डीएल1970जीओआई117585

ii) रजिस्ट्रीकरण तारीख : 16 अप्रैल, 1970

iii) कंपनी का नाम : इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : मिनी रत्न श्रेणी II (अनुसूची ख)

v) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और संपर्क के ब्यौरे : कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन : 91–11–24361666

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं : नहीं

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे :

नाम : एमसीएस लिमिटेड

पता : एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020

संपर्क संख्या : 41406149–52

II. dEiuh dk çèkku dkjckj dk;ZdykiA

कंपनी के कुल आवर्त का 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले सभी कारबार कार्यकलापों का कथन किया जाएगा :–

Ø-l-	eq[; mRikn@lsokvksa dk uke vkSj fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM*	dEiuh dh dqy vkorZ esa çfr'krrk
1.	भवनों का संनिर्माण	410	33%
2.	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का संनिर्माण	429	57%

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. /kfr] vuq"kaxh vkSj lgc) dEifu;ksa dh fof'kf"V;ka &

Ø-l-	dEiuh dk uke vkSj irk	lhvkbZ,u@th,y,u	/kfr@vuq"kaxh@lgc)	/kkfjr fd, x, 'ks;jksa dh çfr'krrk	ykxw /kkjk
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ıv. ‘k;j/kkj.k iVu ¼dy bfDoVh d çfr’kr d :i e bfDoVh ‘k;j ith foHkk tu½

i) J.kh&okj ‘k;j /kkj.k

‘k;j /kkjdk dh J.kh	o"k d çkjHk e /kr ‘k;jk dh l[;k&				o"k d çkjHk e /kr ‘k;jk dh l[;k&				o"k d nkjku çfr’kr ifjoru
	MheV	Hkkfrd	dy	dy ‘k;jk dk çfr’kr	MheV	Hkkfrd	dy	dy ‘k;jk dk çfr’kr	
v- çLrkod ¼1½ Hkkjrh;									
क) व्यष्टिक/एचयुएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केंद्र सरकार	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य
ग) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य –6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और 1 न्यास	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य
mi&;kx ¼v½ ¼1½-	‘kU;	354226888	35422688	100	‘kU;	35422688	35422688	100	‘kU;
(2) fon’kh प्रवासी भारतीय–व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
mi&;kx ¼v½ ¼2½%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
çLrkodk dh dy ‘k;j /kfr ¼v½ ¾¼v½¼1½$¼v½ ¼2½	‘kU;	35422688	35422688	100	‘kU;	35422688	35422688	100	‘kU;
vk- lkoZtfud ‘k;j /kfr 1- lLFkk, क) पारस्परिक निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्री सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) जोखिम पूंजी निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कम्पनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

छ) वि.सा.नि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी जोखिम निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
mi&;kx ¼vk½ ¼1½&	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;
2- xSj&laLFkk,a क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यष्टिक i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र व्यष्टिक शेयर धारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाम मात्र व्यष्टिक शेयर धारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
mi&;kx ¼vk½¼2½& dqy lkoZtfud 'ks;j /kfr ¼vk½¾¼vk½¼1½$ ¼vk½¼2½	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धृत शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
egk&;kx ¼vvkb½	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य

(ii) çLrkodksa dh 'ks;j /kfr

Ø-la-	'ks;j/kkjd dk uke	o"kZ ds çkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k			o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत संख्या	कुल शेयरों का गिरवी/भारग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का गिरवी/भारग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धृति में प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत का राष्ट्रपति (भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के माध्यम से)	35415677	99.98%	शून्य	35415677	99.98%	शून्य	शून्य
	;kx	35415677	99.98%	शून्य	35415677	99.98%	शून्य	शून्य

(iii) çLrkodksa dh 'ks;j /kfr esa ifjorZu ¼—i;k fofufnZ"V djsa rc Hkh tc dksbZ ifjorZu ugha gks½ –

Ø-l-		o"kZ ds çkjaHk esa 'ks;j /kfr		o"kZ ds nkSjku lap;h 'ks;j /kfr	
		'ks;jksa dh la[;k	dqiuh ds dqy 'ks;jksa dk çfr'kr	'ks;jksa dh la[;k	dqiuh ds dqy 'ks;jksa dk çfr'kr
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि /कमी (अर्थात् आबंटण/अंतरण/बोनस/स्वीट ईक्विटी आदि के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) nl lokZPp 'ks;j/kkjdksa ¼funs'kd] çLrkod vkSj Mhthvkj rFkk ,Mhvkj½ dk 'ks;j/kkj.k iSVuZ&

Ø-l-		o"kZ ds çkjaHk esa 'ks;j /kfr		o"kZ ds nkSjku lap;h 'ks;j /kfr	
	वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट ईक्विटी आदि के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्ताविकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारत का राष्ट्रपति	35415677	99.9784	35415677	99.98
2.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड	3575	0.0101	3575	0.0101
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.0053	1892	0.0053
4.	माइनिंग एण्ड एलॉइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	350	0.000988	350	0.000988
7.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड	210	0.000592	210	0.000592
8.	ईपीआई शेयर धारक न्यास	4	0.0000112	4	0.0000112

(v) fun’kdk vkj çe[k çc/kdh; dkfed dh ‘k;j /kfr %

Ø-l-		o"k dk çkjHk ea 'k;j /kfr		o"k dk nkjku lap;h 'k;j /kfr	
	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति वृद्धि/कमी (अर्थात् आबंटण/अंतरण/बोनस/ स्वीट ईक्विटी आदि के कारणों को विनिर्दिष्ट/करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	श्री एस. पी. एस. बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	श्री ए वी वी कृष्णन, निदेशक (वित्त)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	श्री राजेश कुमार सिंह, सरकारी नाम निर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	श्री एस. एस. दूबे, सरकारी नाम निर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	डॉ. के एस. राव., स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	श्रीमती सुधा वी. वरदन वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य

V. _.krk

कंपनी की ऋणता जिसके अंतर्गत बकाया ब्याज/उद्भूत किन्तु जो संदाय के लिए शोध्य नहीं है।

	çfrHkr _.k] ftl dh vfrxr tek ugh g	vçfrHkr _.k	tek	dy _.krk
foÙk o"k dk çkjHk ea _.krk i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उद्भूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
;kx (i+ii+iii)	‘kU;	‘kU;	‘kU;	‘kU;
foÙk o"k dk nkjku _.krk ea ifjoru ■ वर्धन ■ कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
‘k) ifjoru	‘kU;	‘kU;	‘kU;	‘kU;

वर्ष के अंत में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उदभूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
;kx (i+ii+iii)	‘kU;	‘kU;	‘kU;	‘kU;

VI. funs’kdk vkj çeq[k çca/kdh; dkfeZd dk ikfjJfed

d- çca/k funs’kd] iw.kdkfyd funs’kdk vkj ;k çca/kd dk ikfjJfed :

Ø-l-	ikfjJfed dh fof'kf"V;k	çca/k funs’kd@iw.kdkfyd funs’kd@çca/kd dk uke			dqy jde
		v/;{k&lg&çca/k funs’kd*	funs'kd ¼ifj;kstuk,½	funs'kd ¼foÙk½*	
1	समग्र वेतन (क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	2493573 440783	2229676 412093	2167088 397004	6890337 1249880
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0 0	0 0	0 0	0 0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
	;kx ¼d½	**2934356**	**2641769**	**2564092**	**8140217**
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के उपबंधों के अनुसार			

* अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक (वित्त) को मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

[k- funs’kdk dk ikfjJfed %

Ø-l-	ikfjJfed dh fof'kf"V;k	funs’kd dk uke				dqy jde
		Mk d- ,l- jko	----	----	------	
	Lora= funs’kd • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	155000				155000
	;kx ¼1½	**155000**				**155000**
	vU;] xSj&dk;Zdkjh funs’kd • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					
	;kx ¼2½	-				-
	;kx ¼[k½ = (1+2)	**155000**				**155000**
	कुल प्रबंधकीय परिश्रमिक					8295217
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के उपबंधों के अनुसार				

x- çc/k funs'kd@çc/kd@i.kdkfyd funs'kd ls fHkUu çe[k çc/kdh; dkfeZd dk ikfjJfed

Ø- l-	ikfjJfed dh fofufnZ"V;k	çe[k çc/kdh; dkfeZd				
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव (श्रीमती सुमिता शर्मा)	कंपनी सचिव (श्रीमती सुधा वी वरदन)	मु.वि.अ.	योग
1	समग्र वेतन		(01.04.2014 से 29.09.2014)	(30.09.2014 से 31.03.2015)		
	क) आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	0	510342	744324	0	1254666
	(ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0	0
	(ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0
	;ksx	**0**	**510342**	**744324**	**0**	**1254666**

VII. 'kkfLr ;k@nM@vijk/kksa dk mi'keu % 'kwU;

izdkj	dEiuh vf/kfu;e dh /kkjk	laf{kIr fooj.k	'kkfLr@nM@ vf/kjksfir mi'keu Qhl dk C;kSjk	çkf/kdj.k ¿vkjMh @ ,u lh ,y Vh À	dh xbZ vihy] ;fn dksbZ gks ¼C;kSjk nsa½
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
x- 0;frØeh vU; vf/kdkjh					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

lfpoky;h ys[kkijh{kk fjiksVZ

¼31 ekpZ] 2015 dks lekIr foÙk o"kZ ds fy,½

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 204¼1½ vkSj dEiuh [fu;qfä vkSj çca/kdh; dkfeZd ikfjJfed½ fu;e] 2014 ds fu;e 9 ds vuqlj.k esa]

सेवा में,

सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड,

सीआईएन: यू27109डीएल1970जीओआई117585

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्लीं–110003

हमनें लागू कानूनी उपबंधों की अनुपालना में और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो मुझे निगम व्यवहार/कानूनी अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करती है । इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए कानूनी उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए है :

हमनें इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान तथा वाणिज्यिक उधार हों ।

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1952 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विहित किए गए हैं :

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतर्गत् व्यापार के लिए निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009;

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 1992 भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्की्म) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 और भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी) ;

(ड) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 ;

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से ब्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993 ;

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 1998

(vi) निम्नलिखित विधियां और उनके तद्धीन बनाए गए नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए विनिर्दिष्टतः लागू के रूप में पहचाना गया है :

(क) लोक उपक्रम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांत भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय तारीख 14 मई, 2010 द्वारा जारी की जाती है।

(ख) आय–कर अधिनियम, 1961

(ग) धन–कर अधिनियम, 1957

(घ) सेवा कर विधियां

(ङ) वैट केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी

(च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम

(छ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999

(ज) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(झ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ञ) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(ट) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

(ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ड) अन्य श्रम विधियां और तद्धीन बनाए गए नियम :

- ठेका श्रम (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
- वाणिज्यिक दुकान और प्रतिष्ठापन अधिनियम
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य –निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन अपेक्षित है :

(क) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक चूंकि उन्हें 31 मार्च, 2015 तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था ।

(ख) कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करारों को स्टाक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है:

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, बिना किसी तात्विक अनुपालन और निम्नालिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है :

1. खंड (ii) और खंड (v) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और वे लागू नहीं होते हैं ।
2. खंड (iii), खंड (iv) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।
3. ऊपर खंड (vi) विनिर्दिष्टितः लागू विधियों के संबंध में हम पर्यवेक्षण करते हैं कि कंपनी में ऐसी पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार सभी लागू विधियों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की मानीटरी और अनुपालन करने के लिए पर्याप्त हैं ।

4. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने हमारी राय में कंपनी अधिनियम, 1956 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का, जैसा कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा कंपनी के संगम और अनुच्छेद ज्ञापन का बिना किसी तात्विक अननुपालन के पालन किया है ।

ge ;g fjikVZ djrs gSa fd %

कंपनी का निदेशक बोर्ड सम्यकतः कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों सिवाय स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक की नियुक्ति के सम्यकतः गठित किया गया है । यह स्वयः सिद्ध है कि नियुक्तियां सरकार द्वारा की जा रही हैं ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत के विनिश्चयों को करते समय असहमत सदस्यों के मतों पर ध्यान दिया गया और कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में उन्हें अभिलिखित किया गया।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्नो उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए है और निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता की अपेक्षाओं, उनके स्वतंत्र होने और कारबार संचालन की संहिता तथा निदेशक और प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिकता की अनुपालना के प्रकटन का पालन किया है ।

—rs fo'kky vxzoky ,.M ,lksfl,V~l
dEiuh lØsVjht

ह0/–
lh, fo'kky vxzoky
,Qlh,l lnL;rk la[;k % 7242
lh ih la[;k % 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21.08.2015

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ, जिसे ''mikca/k&d** के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है ।

mikc/k d

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन: यू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्लीं–110003

हमारी समसख्यंक तारीख की रिपोर्ट का इस पत्र के साथ पठन किया जाए ।

1. सचिवालयी अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है ।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतवस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित है । सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए । हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

3. हमने कानूनी लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां हैं, पर निर्भर किया है । लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं ।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्ति किया है ।

5. कारपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी ।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कर रहा है ।

—r fo’kky vxoky ,.M ,lkfl,Vl
diuh lØVjht

ह0/–
lh,l fo’kky vxoky
,Qlh,l l[;k 7242
lh ih l[;k 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21.08.2015

funs'kdksa dh fjiksVZ dk mikca/k % dEiuh dk lfpoky;h ys[kkijh{kk fjiksVZ dk çR;qÙkj

Ø-la-	lfpoky;h ys[kkijh{kd@fVIif.k;ka	dEiuh dk çR;qÙkj
1.	कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यक्ता गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों सिवाय स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक के उचित संतुलन के किया गया है। यह विदित है कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जा रही है।	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कार्यकारी और गैर–कार्यकारी दोनों निदेशकों की नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। स्वतंत्र निदेशकों जिसके अंतर्गत महिला निदेशक भी है की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति सरकार की प्रक्रियाधीन हैं।

Lor= y[kkijh{kdk dh fjikV

सेवा में

सदस्य, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

,dy foÙkh; fooj.kksa ij fjikV

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (''कंपनी''), के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण सूचना से मिलकर बना है जिसमें उस तारीख को कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चैन्नई, ओमान और श्रीलंका में शाखाओं की समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरणियों को शामिल किया गया है। दिल्ली शाखा की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा कर ली गई है।

foÙkh; fooj.kksa ij çca/ku dk nkf;Ro

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीककृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्ति युक्त तथा प्रबुद्ध हों तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

y[kkijh{kdk dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है।

हमने अधिनियम के उपबंधों को, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अन्य मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा है को गणना में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतवलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को जो तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार

करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रीति में प्रदान करती हैं जैसाकि अपेक्षित है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

ekeyk dk cy

हम वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स में निम्नलिखित की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं :

खंड 3(ख) टिप्पण 1 का, ''राजस्व पहचान'', माप न किए गए/भागतः निष्पादित कार्य के लिए उपबंधित दायित्व के साथ उपाबद्ध कानूनी बाध्यता को पूरा न करने से संबंधित ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां''।

vU; ekeyk

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 5 (पांच) शाखाओं की वित्तीय विवरणियों सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी विवरणियों/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 14,90,52,96,230.00 रुपए की कुल आस्तियों को और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 9,11,16,35,082.00 रुपए के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

vU; fof/kd vkj fofu;ked vi{kkvksa ij fjikVZ

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के निबंधनों में अपेक्षित है, हमने उपाबंध–1 में एक कथन दिया है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों में विनिर्दिष्ट मामलों को, उनपर की गई कार्रवाई और उनके कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो परिलक्षित किया है।

2. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ('आदेश') (यथासंशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार, हमने उपाबंध–2 में उस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का एक विवरण दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (i) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

(ii) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं। शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उससे समुचित रूप से ब्यौहार किया गया है।

(iii) कंपनी के शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम, 143(8) के अधीन की गई है, हमें भेजी गई है और उससे हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से ब्यौहार किया है।

(iv) इस रिपोर्ट में ब्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और रिटर्नों के अनुरूप हैं।

(v) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(vi) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यवेदन के आधार पर और निदेशक बोर्ड द्वारा उसे अभिलेख में लेने का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से निरर्हित नहीं है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का उसकी वित्तीय प्रस्थिति पर अपने वित्तीय विवरणों पर टिप्पण 2.23 को निर्दिष्ट में प्रकटन किया है ;

ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा–अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है ;

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

—rs lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVMZ ,dkmUVsV
QeZ jftLVªhdj.k l- 012018 ,u

ह0/–
vfuy tSu]
Hkkxhnkj
lnL;rk l[;k 072783

नई दिल्ली
21 अगस्त, 2015

y[kkijh{kdk dh fjikV dk mic/k&2

कंपनी के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की हमारी fjikV e vU; fof/kd vkj fofu;ked vi{kkvk पर खंड 2 को या उपबंध निर्दिष्ट करता है, हम रिपोर्ट करते है कि :

(i) (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रस्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन ने युक्तियुक्त अंतरालों पर नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे सत्यापन पर ध्यान में आई किसी तात्विक खामी से उचित रूप से लेखा बहियों में ब्यौहार किया गया है।

(ii) (क) कंपनी की मालसूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है। मालसूची का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवर्ती युक्तियुक्त है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।

(iii) कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टार में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क) और 3(iii) (ख) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के आकार और कंपनी के कारबार के अनुसार मालसूची तथा नियत आस्तियों तथा मालों और सेवाओं के विक्रय के लिए एक यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रमुख कमजोरी को नहीं देखा है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, आदेश के खंड 3(अ) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं जैसाकि हमें सूचित किया गया है। कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारत के रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

(vi) लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है। हमें दी गई जानकारी और अग्रेषित किए गए दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा विहित लेखे और अभिलेख बनाए गए है।

(vii) (क) कंपनी साधारणतया अविवादास्पद कानूनी शोध्यों को जमा कराने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यावर्धित कर, उपकर और अन्य तात्विक शोध्य भी हैं जो समुचित प्राधिकारियों के पास उसे लागू है।

(ख) विक्रय कर, आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क, उपकर की बाबत विवाद की शोध्य बकाया रकम नीचे दिए अनुसार है।

Ø- l-	dkuu dk uke	'kk/;rkvk dh ç—fr	jde ¼#i, e½	og vof/k ftlls jde lcf/kr g	og ep tgk fookn yfcr g
1	सेवा कर	मांग / शास्ति	4,18,63,946.00	2005-06 to 2007-08	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	सेवा कर	मांग / शास्ति	35,46,746.00	2004-05, 2005-06	मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग
3	सेवा कर	मांग / शास्ति	37,46,050.00	2010-11 to 2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	सेवा कर	मांग / शास्ति	9,83,80,264.00	2004-05 to 2007-08	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
5	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	3,07,9 ,784.00	2005-06	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
6	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003	मांग	11,61,775.00	2007-08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
7	आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम	मांग	44,48,905.00	एवाय 2008-09 एण्ड 2009-10	आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय, हैदराबाद
8	गुजरात विक्रय कर अधिनियम 2003	कर मांग	39,78,615.00	2010-11	गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिकरण, अहमदाबाद
9	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8,72,500.00	1993-94	विक्रय कर अधिकरण
	;kx		**18,87,90,585.00**		

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसकी कंपनी से कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्बीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबंधों के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की अपेक्षा थी।

(viii) कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचित नुकसान नहीं है और इसने चालू तथा वित्त वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में कोई रोकड़ हानि उपगत नहीं की है। कंपनी के किसी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान कोई शोध्य संदाय नहीं है। तद्नुसार, आदेश के खंड 3(viii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(ix) कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थां, बैंक या डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान संदय कोई शोध्य शेष नहीं था, आदेश के खंड 3(ix) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(x) हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तद्नुसार आदेश के खंड 3(x) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(xi) वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है । तद्नुसार आदेश के खंड 3(xi) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने यह कंपनी द्वारा किया गया कोई कपट जानकारी में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

—r lR;Uæ tu ,.M ,lkfl,Vl
pkVMZ ,dkmUVV
QeZ jftLVªhdj.k la- 012018 ,u

ह0/–
vfuy tu
Hkkxhnkj
lnL;rk l[;k 072783

नई दिल्ली
21 अगस्त, 2015

y[kkijh{kdk dh fjiksVZ dk mikca/k 1

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼5½ ds v/khu funs'k

हमने bathfu;fjax çkstDV~l ¼bafM;k½ fyfeVsM की 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा बहियों की जांच कर ली है और हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों में पूछे गए प्रश्नों पर अपनी टिप्पणियां और उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर जैसाकि कंपनी द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच से प्रतीत होता है, जो नीचे दिए अनुसार है :

1.	fof'kf"V;k	y[kkijh{kdk dh fVIif.k;k
	यदि, कंपनी को विनिधान के लिए चुना गया है तो आस्तियों के मूल्यकरण के निबंधन में (जिसके अंतर्गत अमूर्त आस्तियां और भूमि है) तथा देनदारियों (जिसके अंतर्गत प्रतिबद्ध और साधारण आरक्षिति है) की पूर्ण प्रस्थिति रिपोर्ट की जांच की जाए जिसके अंतर्गत विनिधान प्रक्रिया का ढंग और विद्यमान प्रस्थिति है।	भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के पत्र संख्यां एफ 16(1)/2010–टीएसडब्ल्यू तारीख 10 जून, 2010 के निदेशों के मद्देनजर जहां तक ईक्विटी के विनिधान का संबंध है निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है : कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन किया गया था और कंपनी के पब्लिक लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन को 09.12.2010 को पूरा कर लिया गया था। इक्विटी शेयरों को 10/–रुपए के प्रत्येक के अंकित मूल्य से 38.95 रुपए के अंकित मूल्य में विभाजन को 30.09.2011 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पूरा कर लिया गया था : सभी शेयर धारकों को उनके भौतिक शेयरों को डीमैट प्ररूप में परिवर्तन का विकल्प दिया गया था। तथापि, शेयरों का भौतिक प्ररूप में धारण किया जाना जारी रहा और शेयरों का बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए आकस्मिक दायित्वों में कमी।
2.	कृपया रिपोर्ट करें कि ऋणों बट्टे खाते में डालने/ब्याज आदि को छोड़ देने के कोई मामले हैं। यदि हां, तो उनके कारण और अंतर्वलित रकम।	जैसाकि संप्रेषण किया गया है/ हमें सूचना दी गई है, ऋणों बट्टे खाते में डालने/ब्याज आदि को छोड़ देने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास मालसूचियों के अनुरक्षण के लिए और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्ता उपहारों के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं।	जैसाकि संप्रेषण किया गया है/ हमें सूचना दी गई है, मालसूचियों के अनुरक्षण के लिए और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहारों का कोई मामला नहीं है।
4.	लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों की समयवार विश्लेषण रिपोर्ट जिसके अंतर्गत उनके लंबन और सभी विधिक मामलों (विदेशी और स्थानीय) की विद्यमान प्रभावशीलता के मॉनीटरी तंत्र की रिपोर्ट।	जैसाकि हमें प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई है और जांचे गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी के पास 148 लंबित विधिक/मध्यस्थता मामले विभिन्न न्यायालयों/मध्यस्थता (सिवाय कानूनी शोध्यों जिनका रिपोर्ट में अन्य वर्णन किया गया है) जो 473.25 करोड़ रुपए के बराबर हैं, लंबित हैं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर समयवार लंबित मामले नीचे दिए अनुसार हैं :

le;	ekeyksa dh la[;k	djksM+ #i,
1 वर्ष से कम	-	-
1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	14	6
1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	12	115
3 वर्ष से अधिक	122	352
;ksx	**148**	**473**

कंपनी के विरूद्ध मुख्य विधि/मध्यस्थता एवं न्यायालय मामलों का एक विवरण उपाबंध–क में संलग्न् है।

कंपनी पूर्वोक्त मामलों का प्रतिवाद कर रही है और प्रबंधन जिसके अंतर्गत विधिक सलाहकार हैं का या विश्वास है कि उनकी प्रस्थिति को कंपनी के पक्ष में बनाए रखा जाएगा।

कंपनी में सभी विधिक मामलों (विदेशी और स्थानीय) के लिए मानीटरी प्रणाली की विद्यमानता/प्रभावशीलता के मामले में व्यय जैसाकि हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया है और अभिलेखों की हमारे द्वारा जांच के आधार पर विधिक विभाग नियमित रूप से इन लंबित मामलों की मानीटरी कर रहा है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कंपनी ने मामले से मामला के आधार पर मध्यस्थों और अधिवक्ता ओं की सभी मामलों में उपस्थिति और फीस अग्रिम में नियत करती है।

—rs lR;Unz tSu ,.M ,lksfl,Vl
pkVZMZ ,dkmUVsUV
QeZ jftLVªs'ku la- 012018 ,u

ह0/–
¼,-d- tSu½
lnL;rk la[;k 072783
Hkkxhnkj

तारीख : 21.08.2015
स्थान : नई दिल्ली

fuiVku dh fy, yfcr eq[; fof/kd@ek/;LFkrk ekeyksa dk C;kSjk

Øe la-	xzkgd @ mi&Bsdsnkj @ vU;	funs'k ij çfo"V gksus dk o"kZ	bZ.ihvkbZ dk nkok ¼djksM+ #i, esa½	xzkgd @ mi&Bsdsnkj dk nkok ¼djksM+ #i, esa½
1	ओआईडीबी	नवम्बर–12	37.62 (सी)	93.57
2	बाल्को	दिसम्बर –01	11.73 (सी)	45.20
3	यूनियन बैंक आफ इंडिया	सितम्बर–11	5.87 (सी)	28.93
4	जीडब्लूएसएसबी	जुलाई–06	58.10 (सी)	90.98
5	केयूआईडीएफसी / केयूडीसीईएमपी	मार्च–05	2.55 (सी)	6.43
6	केयूआईडीएफसी / केयूडीसीईएमपी	मार्च–05	4.37 (सी)	5.38
7	केयूआईडीएफसी / केयूडीसीईएमपी	मार्च–05	3.87	6.81 (सी)
8	आरयूआईडीपी पैकेजिंग डीआर–02	फरवरी–07	5.99 (सी)	5.88
9	आरयूआईडीपी पैकेजिंग डीआर–02	फरवरी–07	8.82 (सी)	5.07
10	आरयूआईडीपी पैकेजिंग डब्ल्यूएस–02	फरवरी–07	10.59 (सी)	17.42
11	मेट्रो रेल	नवम्बर–12	3.97 (सी)	5.36
12	किर्लोस्कर कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स लि.	दिसम्बर –08	41.98	22.30 (सी)
13	कुलजीत सिंह एण्ड कंपनी	दिसम्बर –02	10.64	35.09 (सी)
14	एसीसी	फरवरी–06	28.58 (सी)	13.54
15	राज किशन एण्ड कंपनी	अक्टूबर–99	0.79	2.39 (सी)
16	मैसर्स टेक्नोफैव इंजीनियरिंग लि.	अप्रैल–04	2.59 (सी)	3.78
17	शिव वाणी यूनिवर्सल लि.	फरवरी–06	7.89	2.52 (सी)
18	जैनित इंजी. एण्ड बिल्डिर्स प्रा. लि.	दिसम्बर–07	4.9	3.70 (सी)
19	जैनित इंजीनियरिंग एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.	दिसम्बर –07	7.00	2.72 (सी)
20	श्रीराम टॉवर टेक लिमिटेड	अप्रैल–10	अभी भरा जाना है	15.64
21	के के बिल्डर्स	जुलाई–11	0.83	3.54 (सी)
22	एनयूसीओएन इंडिया प्रा. लिमिटेड	सितम्बर–12	0.61 (सी)	3.75
23	इंडस इंजीनियरिंग कंपनी	जनवरी–05	1.80	4.11 (सी)
24	एबीसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर	जनवरी–08	-	6.20
25	भोज वैटलैंड प्रोजेक्ट् (बीडब्ल्यूपी)	मार्च–09	53.70 (सी)	-
26	आरयूआईडीपी पैकेजिंग डब्ल्यूएस–08	दिसम्बर–10	21.57 (सी)	-
27	यूपीआरवीयूएनएल (यूपीएसईबी–अन्परा)	सितम्बर–11	25.08	अभी भरा जाना है
28	राइट्स लिमिटेड	जनवरी–12	14.19 (सी)	0.90
29	ओएनजीसी कोविलकालाप्पल	नवम्बर–12	9.85 (सी)	
30	अन्य विधि / माध्यस्थम / न्यायालय (119 मामले)		246.58	42.04
	;ksx		**632.06**	**473.25**

टिप्पण 1 : (सी) ग्राहक / उप–ठेकेदार द्वारा प्रति दावे को दर्शाता है।

टिप्पण 2 : सभी विधिक मामलों, न्यायालयों मामलों और मध्यस्थता मामलों का संपूर्ण ब्यौरा सत्यापन के लिए उपलब्ध है। वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ता इसका निगम कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं।

fun’kdk dh fjikV dk mikc/k %
y[kkijh{kdk dh fjikV vkj diuh dk çR;Ùkj

Ø- l-	y[kkijh{kdk dh fjikV@fVIif.k;k	diuh dk çR;Ùkj
	हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चैन्नई, औमान, और श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा की विवरणियों को शामिल किया गया है ।	कोई टिप्पणी नही
	कंपनी का निदेशक बोर्ड इन एकल वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134की उप– धारा (5) में कथित मामलो को लिए उनको तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जो वित्तीय प्रस्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के रोकड़ प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत मानकों के अनुसार सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं। इस दायित्व में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के सुरक्षापायों के लिए और कपटों और अन्य अनियमिताओ का निवारण करने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण और समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना जो युक्तियुक्त और बुद्धिमतापूर्ण हों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है जो सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और जो किसी तात्विक मिथ्याकथन चाहे कपट से या त्रुटि से हो, मुक्त है, भी शामिल है ।	कोई टिप्पणी नही
	हमारा दायित्व। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकन और लेखा परीक्षा मानक और विषय, जिन्हें अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं, को गणना में लिया है । हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है । वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणियों तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन अंतवर्लित होता है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण करना होता है चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में और न्यायोचित प्रस्तुतिकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जिससे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन मानकों की युक्तियुक्तता के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है।	कोई टिप्पणी नही
	हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा	कोई टिप्पणी नही

	हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित रीति में देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 की स्थित के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और रोकड़ प्रवाह विवरण की दशा में सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं	कोई टिप्पणी नही
	हम वित्तीय विवरणों के टिप्पण में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं : टिप्पण सं. 1 ''महत्वंपूर्ण लेखांकन नीतियां'' का खंड 3(ख) ''राजस्व मान्यता'' जो माप न किए गए/भागतः निष्पादित कार्य के लिए उपबंधित दायित्व के साथ कानूनी बाध्यता को पूरा करने से संबंधित है ।	कंपनी टिप्पण संख्या 1, ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां'' का खंड 3 (ख) ''राजस्व मान्यता'' में कथित कानूनी बाध्यताओं को पूरा करती है।
	हमने पांच (5) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया था, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 14,90,52,96,230.00 रुपए और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 9,11,16,35,082.00 रुपए की कुल आस्तियों को उपदर्शित करती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है । इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना की शाखा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय उन शाखाओं की बाबत रकमों और प्रकटन से संबंधित है, केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।	कोई टिप्पणी नहीं
	vU; fof/kd vkj fofu;ked vi{kkvksa ij fjikVZ	
1.	अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के निबंधनों में यथाअपेक्षित हम उपाबंध 1 में एक विवरण देते हैं जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों को, उन पर की गई कार्रवाई तथा उसके कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट किया गया है ।	कोई टिप्पणी नही
2.	अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित हम उपाबंध 2 में आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक वे लागू है, एक विवरण देते हैं ।	कोई टिप्पणी नही
3.	अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
(i)	हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नही
(ii)	हमारी राय में, जहां तक इन लेखाबहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखाबहियां रखी गई हैं। हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित रिटर्न उन शाखाओं से, जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है, प्राप्त किए गए हैं ।	कोई टिप्पणी नही
(iii)	अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन कंपनी के लेखापरीक्षा किए गए शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने हमारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उससे समुचित रूप से ब्यौहार किया है।	कोई टिप्पणी नही
(iv)	इस रिपोर्ट में ब्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखाबहियों और रिटर्नों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नही
(v)	(हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ।	कोई टिप्पणी नही
(vi)	31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर 31 मार्च, 2015 को अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही

	कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों की बाबत हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :	
(i)	कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय प्रस्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन किया है वित्तीय विवरणों के पैरा 2.23 को निर्दिष्टित करें ।	कोई टिप्पणी नही
(ii)	कंपनी ने लागू विधियों या लेखांकन मानकों द्वारा यथाअपेक्षित उपबंध सामग्री के मानकों, भावी नुकसानों, यदि कोई हों, के लिए दीर्घावधि संविदाओं, जिसके अंतर्गत व्युत्पन्नी संविदाएं हैं, के लिए किए हैं ।	कोई टिप्पणी नही
(iii)	ऐसी कोई रकम नहीं थी, जिसकों निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी ।	कोई टिप्पणी नही

—r% lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVMZ ,dkmUVsUV
QeZ jftLVªhdj.k la- 012018 ,u

—r% vkj bZ tDV fu;fjx çkstDV~l ¼bafM;k½ fyfeVsM
ds fy, vkSj mlds vksj ls

ह0/-
lh, vfuy tSu
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 072783

ह0/-
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çca/k funs'kd

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 अगस्त, 2015

rkjh[k 21 vxLr 2015 dh bathfu;fjax çkstsDV~l ¼bafM;k½ fyfeVsM] ds lnL;ksa dks 31 ekpZ] 2005 dks lekIrh gq, o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa ij ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk mic/k&2 vkSj dEiuh dk çR;qÙkj

Ø-la	ys[kkijh{kd dh fjiksVZ fVIif.k;k	dEiuh dk iR;qRrj
	कंपनी के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट में अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर खंड 2 को यह उपबंध निर्दिष्ट करता है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
i)	क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रस्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन ने युक्तियुक्त अंतरालों पर नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया है : ऐसे सत्यापन पर /यातन में आई किसी तात्विक खामी से उचित रूप से लेखा बहियों में ब्यौहार किया गया है।	कोई टिप्पणी नही
ii)	क) कंपनी की मालसूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है। मालसूची का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवर्ती युक्तियुक्त है। (ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है। (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।	कोई टिप्पणी नही
iii)	कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टिर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क) और 3(iii) (ख) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही
iv)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के आकार और कंपनी के कारबार के अनुसार मालसूची तथा नियत आस्तियों तथा मालों और सेवाओं के विक्रय के लिए एक यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रमुख कमजोरी को नहीं देखा है।	कोई टिप्पणी नही
v)	कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है आदेश के खंड 3(क) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं जैसाकि हमें सूचित किया गया है। कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारत के रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नही
vi)	लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है। हमें दी गई जानकारी और अग्रेषित किए गए दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा विहित लेखे और अभिलेख बनाए गए हैं।	कोई टिप्पणी नही

vii)	(क) कंपनी साधारणतया अविवादास्पद कानूनी शोध्यों को जमा कराने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्यि निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, सीमाशुल्को, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य तात्विक शोध्य भी हैं जो समुचित प्राधिकारियों के पास उसे लागू हैं। (ख) विक्रय कर, आय कर, सीमा शुल्क धन कर, उत्पाद शुल्क उपकर की बाबत विवाद की शोध्य बकाया रकम नीचे दिए अनुसार है।	टिप्पण सं 2.23 में प्रकटन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मामलों का समुचित स्तर पर अनुसरण किया जा रहा है ।

Ø- l	dkuu dk uke	'kqYd dh çÑfr	jde ¼#i, eas½	og vof/k ftlls jde lacaf/kr gS	og eap tgka fookn yafcr gS
1.	सेवा कर	मांग/शास्ति	4,18,63,946	2005-06 to 2007-08	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2.	सेवा कर	मांग/शास्ति	35,46,746	2004-05,2005-06	मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग
3.	सेवा कर	मांग/शास्ति	37,46,050	2010-11 to 2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4.	सेवा कर	मांग/शास्ति	9,83,80,264	2004-05 to 2007-08	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
5.	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	3,07,91,784	2005-06	पश्चिम बंगाल वाणिज्यि कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
6	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	मांग	11,61,775	2007-08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
7.	आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर	मांग	44,48,905	लेoवo 2008&09 एवं 2009&10	आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय, हैदराबाद
8.	गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 2003	कर मांग	39,78,615	2010-11	गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिकरण, अहमदाबाद
9.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8,72,500	1993-94	विक्रय कर अधिकरण
;kx			**18,87,90,585**		

	ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसकी कंपनी से कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबंधों के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की अपेक्षा थी।	कोई टिप्पणी नही
viii)	कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचित नुकसान नहीं है और इसने चालू तथा वित्त वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में कोई रोकड़ हानि उपगत नहीं की है। कंपनी के किसी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान कोई शोध्य संदाय नहीं है। तद्नुसार, आदेश के खंड 3(viii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही

ix)	कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्था, बैंक या डिबेंचर धारक को वर्ष के दौरान संदय कोई शोध्य शेष नहीं था, आदेश के खंड 3(ix) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही
x)	हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में कंपनी ने अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तद्नुसार आदेश के खंड 3(ग) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही
xi)	वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है; तद्नुसार आदेश के खंड 3(xi) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही
xii)	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने यह कंपनी द्वारा किया गया कोई कपट जानकारी में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।	कोई टिप्पणी नही

—rs lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVMZ ,dkmaVsaV
QeZ jftLVªhdj.k la- 012018 ,u

—rs vkj bathfu;fjax çkstsDVl ¼bafM;k½ fyfeVsM
ds fy, vkSj mldh vksj ls

g0@&
¼,l ih ,l cD'kh½
v/;{k&lg&çca/k funs'kd

g0@&
lh, vfuy tSu
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 072783

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 अगस्त, 2015

r|yui= 31 ekp] 2015 dh fLFkfr dk vu|lkj

¼jde #i, eas½

	fooj.k	fVIif.k l[;k	31 ekp] 2015 dh fLFkfr dk vu|lkj		31 ekp] 2014 dh fLFkfr dk vu|lkj	
I.	lkE; vkj nkf;Ro					
1	'ks;j/kkjdka dh fuf/k;ka					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**354,226,880**		354,226,880	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**1,808,866,895**	**2,163,093,775**	1,624,495,774	1,978,722,654
2	xj&pkyw nkf;Ro					
	क) दीर्घावधि उधार	-	**-**		-	
	ख) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**2,518,011,646**		1,828,782,855	
	ग) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**234,225,457**	**2,752,237,103**	228,943,972	2,057,726,827
3	pkyw nkf;Ro					
	क) लघु अवधि उधार	-	**-**		-	
	ख) व्यापार संदेय	2.5	**4,037,658,447**		3,929,391,290	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.6	**9,090,634,212**		14,020,694,763	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.7	**393,652,463**	**13,521,945,122**	350,116,644	18,300,202,697
	;kx			**18,437,276,000**		**22,336,652,178**
II.	vkfLr;ka					
1	xj&pkyw vkfLr;ka					
	क) नियत आस्तियां	2.8				
	(i) मूर्त आस्तियां		**89,844,058**		90,864,596	
	(ii) अमूर्त आस्तियां		**1,306,870**		757,897	
	(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य		**-**		-	
	(iv) विकासाधीन अमूर्त अस्तियां		**4,098,052**		639,298	
			95,248,980		92,261,791	
	ख) गैर चालू विनिधान	-	**-**		-	
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.9	**76,141,793**		73,795,988	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.10	**2,140,351,853**		1,653,913,396	
	ङ) अन्य गैर चालू आस्त्यिां	2.11	**533,892,561**	**2,845,635,187**	487,995,003	2,307,966,178
2	pkyw vkfLr;ka					
	क) चालू विनिधान	-	**-**		-	
	ख) माल सूचियां	2.12	**135,529,097**		74,834,429	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.13	**2,670,363,943**		2,532,891,972	
	घ) नकद और बैंक शेष	2.14	**2,039,703,884**		1,653,632,052	
	ङ) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.15	**4,864,058,964**		5,386,474,970	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.16	**5,881,984,925**	**15,591,640,813**	10,380,852,577	20,028,686,000
	;kx			**18,437,276,000**		**22,336,652,178**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

funs'kd eaMy ds fy, vkj mldh vkj ls

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
¼lq/kk oh- ojnu½	¼,u- ds- 'kek½	¼,- oh- oh- —".ku½	¼,l ih ,l cD'kh½
dEiuh lfpo	dk;Zdkjh funs'kd ¼foÙk½	funs'kd ¼foÙk½	v/;{k&lg&çcU/k funs'kd

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में निर्दिष्ट तुलनपत्र है

—rs lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVMZ ,dkmUV~V
QeZ jftLVªs'ku la- 012018 ,u

LFkku ¼ नई दिल्ली
rkjh[k ¼ 21 अगस्त, 2015

ह0/–
lh, vfuy tSu
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 072783

ykHk vkj gkfu 31 ekp] 2015 dh fLFkfr d vu|lkj

¼jde #i, ea½

	fooj.k	fVIi.k l-	31 ekp] 2015 dh fLFkfr d vu|lkj	31 ekp] 2014 dh fLFkfr d vu|lkj
I.	çpkyuk l jkturLo	2.17	**10,312,821,386**	8,551,672,443
II.	अन्य आय	2.18	**278,926,763**	353,399,575
III.	d|y vk; (I+II)		**10,591,748,149**	8,905,072,018
IV.	0;; %			
	प्रचालन व्यय	2.19	**9,161,704,466**	7,695,939,745
	कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदा	2.20	**689,639,555**	582,702,211
	वित्तीय लागतें	2.21	**70,615,207**	94,210,934
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.8	**9,961,864**	9,929,989
	अन्य व्यय	2.22	**247,757,453**	261,236,223
	d|y 0;;		**10,179,678,545**	8,644,019,102
V.	viokn vkj vlk/kkj.k enk l iol ykHk vkj dj		**412,069,604**	261,052,916
VI.	अपवादी मदें		**-**	-
VII.	vlk/kkj.k enk vkj dj l iol ykHk		**412,069,604**	261,052,916
VIII.	असाधारण मदें		**-**	-
IX.	dj l iol ykHk ¼gkfu½ (VII-VIII)		**412,069,604**	261,052,916
X	कर व्यय			
	चालू कर		**143,553,346**	82,314,729
	अस्थगित कर		**(2,345,805)**	8,794,466
	न्यूनतम वैकल्पी कर प्रत्यय पात्रता		**-**	-
XI.	o"k dk fy, ykHk (ix-x)		**270,862,063**	169,943,721
XII.	çfr 'k;j vtu ¼vk/kkjh ,o ru|d|r½	2.39	**7.65**	4.80
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

fun'kd cksM dk fy, vkj mldh vkj l

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
¼l|/kk oh- ojnu½	¼,u- d- 'kek½	¼,- oh- oh- —".ku½	¼,l ih ,l cD'kh½
dEiuh lfpo	dk;dkjh fun'kd ¼foÙk½	fun'kd ¼foÙk½	v/;{k&lg&çca/k fun'kd

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ और हानि है

—r l R;Uæ tu ,.M ,lkfl,V1
pkVM ,dkmVV
Qe jftLVhdj.k l- 012018 ,u

LFkku % नई दिल्ली
rkjh[k % 21 अगस्त, 2015

ह0/–
lh, vfuy tu
Hkkxhnkj
lnL;rk l[;k 072783

31 ekpZ 2015 dks lekIr gksus okys o"kZ ds fy, jksdM+ çokg fooj.k

(रकम रूपये में)

fof'kf"V;k	2014&15	2013&14
çpkyu dk;Zdykiksa ls jksdM+ çokg		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	**412,069,605**	261,052,916
lek;kstu ds fy, %		
–अवक्षयण और अपाकरण	**9,961,864**	9,929,989
–आस्तियों की बिक्री से हानि /(लाभ) शुद्ध	**3,967**	1,618
–एफडीआर पर ब्याज	**(27,514,613)**	(54,746,309)
fons'kh eqæk ds fofue; ij fofue; foHkn		
–नकद और नकद समतुल्य	**-**	-
dk;Z'khy iwath ifjorZu ls iwoZ çpkyu ykHk	**394,520,823**	**216,238,214**
–मालसूचियों में कमी /(बढोतरी)	**(60,694,668)**	(10,134,243)
–चालू कार्य में कमी /(बढोतरी)	**721,966,375**	37,861,376,517
–विभिन्न देनदारों में कमी /(बढोतरी)	**(183,369,529)**	(1,519,836,011)
–प्रतिधारण के अधीन नियत जमा में कमी /(बढोतरी)	**13,588,327**	(7,942,317)
–ऋणों एवं अग्रिमों में कमी /(बढोतरी)	**3,848,782,287**	(37,999,328,446)
–चालू वर्तमान दायित्वों में कमी /(बढोतरी)	**(4,120,839,617)**	1,838,736,373
çpkyuksa ls lftr jksdM+	**613,953,998**	**379,110,087**
–संदत्त आय–कर	**(162,385,226)**	(157,598,517)
çpkyu dk;Zdykiksa ls 'kq) udn	**451,568,772**	**221,511,570**
fofu/kku dk;Zdykiksa ls udn çokg		
–नियत आस्तियों का क्रय / संनिर्माण	**(13,445,356)**	(38,866,466)
–आस्तियों के विक्रय से आगम	**55,718**	163,348
–ब्याज आय	**44,366,573**	77,545,638
fofu/kku dk;Zdykiksa ls 'kq) udn	**30,976,935**	**38,842,520**
foÙkh; dk;Zdykiksa ls udn çokg		
–संदत्त लाभांश	**(70,845,376)**	(70,845,376)
–संदत्त लाभांश कर	**(12,040,172)**	(12,040,172)
foRrh; dk;Zdykiksa esa mi;ksx fd;k x;k 'kq) udn	**(82,885,548)**	**(82,885,548)**
fons'kh eqæk ds fofue; ij fofue; foHkn		
–नकद और नकद समतुल्य	**-**	-
&udn vkSj udn lerqY; esa 'kq) deh @ of)	**399,660,159**	**177,468,542**
–वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**1,596,864,924**	1,419,396,382
–वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**1,996,525,083**	1,596,864,924
udn vkSj udn lerqY; dk lek;kstu		
हाथ में नकद	**137,811**	161,697
हाथ में चैक	**31,501**	14,700,000
अंतरण में जमा	**-**	247,076
चालू खातों में बैंकों में शेष	**122,580,396**	258,838,324
अन्य बैंकों में नियत जमा में शेष – अन्य	**1,873,775,375**	1,322,917,827
udn vkSj udn lerqY;	**1,996,525,083**	**1,596,864,924**
tksM+s % tek [kkrksa esa 'ks"k ¼fxjoh j[kk gvk½	**43,178,801**	56,767,128
o"kZ ds vUr esa ¼lnHkZ uksV l- 2-14½ udn vkSj udn lerqY;	**2,039,703,884**	**1,653,632,052**

टिप्पण : नकद और नकद समतुल्य में नकद और बैंक में शेष है जिसके अंतर्गत नियत जमा, उद्भूत ब्याज और लिक्विड विनिधान शामिल है परंतु इसके अंतर्गत प्रतिधारण / मार्जिन के अधीन नियत जमा नहीं हैं।

—rs funs'kd cksMZ ds fy, vkSj mldh vksj ls

g0@&	g0@&	g0@&	g0@&
¼lq/kk oh- ojnu½	¼,u- ds- 'kekZ½	¼,- oh- —".ku½	¼,l ih ,l cD'kh½
dEiuh lfpo	dk;Zdkjh funs'kd ¼foÙk½	funs'kd ¼foÙk½	v/;{k&lg&çcU/k funs'kd

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में निर्दिष्ट रोकड़ प्रवाह विवरण है

—rs lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVZMZ ,dkmUVsUV
QeZ jftLVªhdj.k l- 012018 ,u

LFkku % नई दिल्ली
rkjh[k % 21 अगस्त, 2015

g0@&
lh, vfuy tSu
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 072783

egRoi.k y[kkdu uhfr;k 2014&15

fVIi.k l[;k 1

1- y[kkdu dk vk/kkj

क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम ''2013'') के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।

ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2- vkdyuksa dk mi;ksx

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हो से भिन्न हो सकते है, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3- jktLo dk ekU;rk

क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को कार्य की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में की जाती है, ऐसी गणना से उद्भूत प्रविष्टियों को उत्तारवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तद्नुसार, वास्तविक प्राप्ति/बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

ग) परियोजनाओं के समय पूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्वं को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त कार्य का उपबंध किया जाता है, मध्यस्थता पंचाटों से उद्भूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उद्भूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

ज) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेकर समय समानुपात के आधार पर ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4- eky lph

i) lkefxz;k

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

ii) pkyw dk;Z

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5- fons'kh eqæk l0;ogkj

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) नियत आस्तियों और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिस पर अवक्षयण की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6- fu;r vkfLr;k

नियत आस्तियां (समग्र खंड) का ऐतिहासिक लागत पर कथन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और आस्तियों को आशयित उपयोग के लिए क्रियाशील स्थिति में लाने के लिए अन्य आरोप्य लागत शामिल है।

7- vo{k;.k

क) नियत आस्तियों के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उद्भूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

Ø-l-	vkfLr;k dk fooj.k	vo{k;.k dh nj
1	Hkou ¼dkj[kkuk Hkou l fHkUu½ vkj lhlh Ýe <kpk ¼,ub, lMh½	1.58%
2	vU; vLFkk;h lfuek.k ¼ftld vrxr vLFkk;h <kpk vkfn g ¼,ub, lMh½	31.67%
3	flfoy lfuek.k e mi;Dr l;= e'khujh	
3(क)(i)	कांक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(ii)(ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन /पाइपलाइन / बिल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	lk/kkj.k Quhpj vkj lTtk ¼,ub, lMh½	9.50%
5	dk;kly; miLdj ¼,ub, lMh½	19%
6	dEI;wVj vkj MkVk çlLdj.k bdkb;k ¼,ub, lMh½	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप आदि	31.67%
7	ekVj;ku ¼,ub, lMh½	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की नियत आस्तियां और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है।

घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। निरंतर पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8- de|pkjh Qk;n

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9- mica/k] vkdfLed nkf;Ro vkj vkdfLed vkfLr;k

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्त्म आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10- lngLin _.kk@m/kkjk vkj vfxzek d fy, mica/k

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में विविध देनदारों/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों की आयु पर ध्यान न देते हुए प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थता अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्प ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए प्रबंधन के पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं। विविध लेनदारों/अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11- [kM fjikfVx

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थित के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12- vkfLr;k dk {kh.k gk tkuk

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनः निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तद्नुसार लाभ और

हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13- djk/kku

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल है और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

स्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम् वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्ता करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14- iêk

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15- çfr 'ks;j vtZu

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात् से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16- iwokZof/k enksa vkSj iwoZ lanÙk O;;

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

fVIi.k l- 2-1

¼jde #i, e½

‘k;j iwth	2014&15	2013&14
çkf/k—r		
10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर (10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर)	**9,094,046,000**	9,094,046,000
tkjh v'k/kr vkj i.kr;k lnRr		
10/–रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर (10/–रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**354,226,880**	354,226,880
;kx	**354,226,880**	**354,226,880**

fVIi.k l- 2-1 d

¼jde #i, e½

cdk;k ‘k;jk dh l[;k dk iu lek;ktu	2014&15	2013&14
	l[;k	l[;k
वर्ष के प्रारंभ में	**35,422,688**	35,422,688
o"k d çkjHk e	**35,422,688**	**35,422,688**

fVIi.k l- 2-1 [k

¼jde #i, e½

5 çfr'kr l vf/kd çR;d ‘k;j/kkjd }kjk /kr ‘k;jk dh l[;k	2014&15		2013&14	
	‘k;jk dh l[;k	ifr'kr	‘k;jk dh l[;k	ifr'kr
Hkkjr dk jk"Vifr	**35,415,677**	**99.98**	35,415,677	99.98

fVIi.k l- 2-2

¼jde #i, e½

vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k	2014&15	2013&2014
d½ iwath vkjf{kr;ka		
o"kZ dh çkjaHk esa vkSj var esa 'ks"k	**210,020**	210,020
[k½ lk/kkj.k vkjf{kr		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**171,500,000**	151,500,000
जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन	**20,000,000**	20,000,000
o"kZ dk var esa 'ks"k	**191,500,000**	171,500,000
x½ lh,lvkj vkjf{kr		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**786,493**	7,697,607
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	**-**	786,493
घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोजित	**786,493**	7,697,607
o"kZ dk var esa 'ks"k	**-**	786,493
?k½ ykHk vkSj gkfu dk fooj.k esa vf/k'ks"k		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,451,999,261**	1,385,727,581
घटाएं : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में अंतरण में अवक्षयण	**436,619**	-
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**270,862,063**	169,943,721
घटाएं : सीएसआर आरक्षित	**-**	786,493
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश	**70,845,376**	70,845,376
घटाएं : लाभांश वितरण कर	**14,422,454**	12,040,172
घटाएं : आरक्षितियों में अंतरित	**20,000,000**	20,000,000
o"kZ dk var esa 'ks"k	**1,617,156,875**	**1,451,999,261**
;kx	**1,808,866,895**	**1,624,495,774**

fVIi.k l- 2-3

¼jde #i, eas½

vU; nh?kkZof/k nkf;Ro	2014&15	2013&2014
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम #	-	-
– अन्य	**563,566,020**	400,675,423
vU; nkf;Rok		
– प्रतिभूति जमा, प्रतिधारण एवं ईएमडी संदेय	**1,833,179,498**	1,262,791,868
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**121,156,946**	119,336,946
– अन्य	**109,182**	45,978,618
;kx	**2,518,011,646**	**1,828,782,855**

fVIi.k l- 2-4

¼jde #i, eas½

nh?kkZof/k mica/k	2014&15	2013&2014
कर्मचारी फायदें	**234,225,457**	228,943,972
;kx	**234,225,457**	**228,943,972**

fVIi.k l- 2-5

¼jde #i, eas½

0;kikj lsna;	2014&15	2013&2014
0;kikj lsna;		
– सूक्ष्मं, लघु एवं मध्यम उपक्रम #	-	-
– अन्य	**4,037,658,447**	3,929,391,290
;kx	**4,037,658,447**	**3,929,391,290**

#सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसाकि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है की जांच कर ली गई है और चालू वर्ष के लिए कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है।

fVIi.k l- 2-6

¼jde #i, e½

vU; pkyw nkf;Ro	2014-2015	2013-2014
ग्राहकों से अग्रिम	**3,965,607,217**	4,369,148,875
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**653,162,680**	775,988,373
बकाया दायित्व	**30,882,449**	23,036,079
अन्य को संदेय रकम	**3,411,343,716**	7,903,402,531
ग्राहक के बिल में डाली गई रकम (निम्न संदर्भ नोट संख्या 2.12)	**858,963,871**	855,621,830
कर्मचारियों को संदेय	**75,896,245**	9,946,619
कानूनी दायित्व	**94,778,034**	83,550,456
;kx	**9,090,634,212**	**14,020,694,763**

fVIi.k l- 2-7

¼jde #i, e½

y?kq vof/k mic/k	2014&2015	2013&2014
कराधान	**275,155,025**	241,231,482
प्रस्तावित लाभांश	**70,845,376**	70,845,376
लाभांश कर	**14,422,454**	12,040,172
कर्मचारी फायदें	**33,229,608**	25,999,614
;kx	**393,652,463**	**350,116,644**

fVIi.k l- 2-8

fu;r vkfLr;k

¼jde #i, eas½

fooj.k	lexz [kaM					vo{k;.k@ifj'kks/ku					'kq) [kaM	
	vfr 'ks"k	o/kZu	lek;kstu	foØ;@cênsa [kkrs esa Mkyk x;k	;ksx	vfr 'ks"k	o"kZ dk nkSjku	lek;kstu	iqu% cVVs [kkrs esa Mkyk x;k	;ksx	31 ekpZ 2015 dks	31 ekpZ 2015 dks
d) ewrZ vkfLr;ka												
फ्रीहोल्डा भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टाधृत भूमि	1,615,856	-	-	-	**1,615,856**	-	-	-	-	-	**1,615,856**	1,615,856
फ्रीहोल्डभ भवन	4,687,325	-	-	-	**4,687,325**	2,238,937	77,335	-	-	**2,316,272**	**2,371,053**	2,448,388
पट्टाधृत भवन	64,181,961	-	-	-	**64,181,961**	20,751,547	987,627	-	-	**21,739,174**	**42,442,787**	43,430,414
कम्प्यूटर और उपस्कर	42,928,447	2,440,261	(1,074,997)	239,276	**44,054,435**	36,572,628	2,057,526	(656,598)	227,313	**37,746,243**	**6,308,192**	6,355,819
कार्यालय और अन्य उपस्कर	16,943,410	2,846,851	(45,000)	655,295	**19,089,966**	10,614,210	2,846,322	351,735	640,654	**13,171,613**	**5,918,353**	6,329,200
संनिर्माण उपस्कर	57,246,381	2,275,161	-	676,437	**58,845,105**	40,582,062	1,053,105	-	643,355	**40,991,812**	**17,853,293**	16,664,319
फर्नीचर एवं सज्जा	20,834,567	1,016,121	-	154,352	**21,696,336**	9,147,311	2,026,131	83,215	154,352	**11,102,305**	**10,594,031**	11,687,256
यान	6,082,410	833,012	-	-	**6,915,422**	3,749,065	425,864	-	-	**4,174,929**	**2,740,493**	2,333,345
mi&;ksx	**214,520,356**	**9,411,406**	**(1,119,997)**	**1,725,360**	**221,086,406**	**123,655,760**	**9,473,910**	**(221,648)**	**1,665,674**	**131,242,348**	**89,844,058**	**90,864,596**
pkyw iwath dk;Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
;ksx	**214,520,356**	**9,411,406**	**(1,119,997)**	**1,725,360**	**221,086,406**	**123,655,760**	**9,473,910**	**(221,648)**	**1,665,674**	**131,242,348**	**89,844,058**	**90,864,596**
[k) ewrZ vkfLr;ka												
अर्जित सॉफ्टवेयर	5,099,434	575,196	1,119,997	-	**6,794,627**	4,341,537	487,954	658,266	-	**5,487,757**	**1,306,870**	757,897
mi&;ksx	**5,099,434**	**575,196**	**1,119,997**	**-**	**6,794,627**	**4,341,537**	**487,954**	**658,266**	**-**	**5,487,757**	**1,306,870**	**757,897**
fodkl/khu ewrZ vkfLr;ka	639,298	3,458,754	-	-	**4,098,052**	-	-	-	-	-	**4,098,052**	639,298
egk&;ksx	**220,259,088**	**13,445,356**	**-**	**1,725,360**	**231,979,085**	**127,997,297**	**9,961,864**	**436,619**	**1,665,674**	**136,730,105**	**95,248,980**	**92,261,791**
iwoZ o"kZ	185,282,642	38,866,466	-	3,890,021	220,259,087	121,792,364	9,929,989	-	3,725,055	127,997,298	92,261,791	63,490,278

fVIi.k l- 2-9

¼jde #i, eas½

vkLFkfxr dj vkfLr;ka ¼'kq)½	2014&2015	2013&2014
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(11,185,036)**	(9,299,955)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**44,488,418**	42,388,566
कर लेखापरीक्षा फीस के लिए उपबंध	**108,536**	105,064
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध	**42,729,875**	40,602,313
;ksx	**76,141,793**	**73,795,988**

fVIi.k l- 2-10

¼jde #i, eas½

nh?kkZof/k _.k vkSj vfxze	2014&15		2013&2014	
(अप्रत्यभूत अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
कार्य के लिए अग्रिम:				
–बी जी के विरूद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**117,368,278**		267,488,897	
–अन्य अग्रिम	**719,781,171**		400,315,663	
घटाएं : संदेहस्पद अग्रिमों के लिए उपबंध	**(83,135,826)**	**754,013,623**	(79,295,238)	588,509,322
कर्मचारिवृंद अग्रिम*		**3,408,807**		4,303,268
प्रतिभूति, प्रतिधारण एवं प्राप्य धरोहर धन	**1,188,009,904**		838,706,436	
घटाएं : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध	**(22,874,840)**	**1,165,135,064**	(22,874,840)	815,831,596
प्राप्य आयकर		**-**		38,354,774
अग्रिम एफबीटी		**600,139**		600,139
प्राप्य कार्य संविदा कर		**87,555,300**		54,514,879
प्राप्य बिक्रय कर		**4,206,965**		10,953,673
अग्रिम विक्रय कर		**24,404,965**		29,468,721
अग्रिम सेवा कर		**1,111,207**		900,000
वसूलनीय रकम – अन्य		**99,915,783**		110,477,024
;ksx		**2,140,351,853**		**1,653,913,396**

*कर्मचारिवृंद अग्रिम में अधिकारियों को 796,696 रुपए का अग्रिम शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 783,617 रुपए)

fVIi.k l- 2-11

¼jde #i, eas½

vU; xSj pkyw vkfLr;ka	2014&2015		2013&2014	
¼vPNk le>k x;k vçR;Hkkr½ 0;kikj olwyh; %				-
छ : मास से अधिक अवधि के लिए बकाया	**556,431,416**		510,533,858	
घटाएं : संदेहस्पद नामे डालने के लिए उपबंध	**(22,538,855)**	**533,892,561**	(22,538,855)	487,995,003
;ksx		**533,892,561**		**487,995,003**

fVIi.k l- 2-12

¼jde #i, e½

eky lfp;k	2014&2015	2013&14
lkefxz;k		
–इस्पात	**104,757,172**	72,495,639
–सीमेंट	**3,066,497**	2,338,790
–पाइप	**27,705,428**	-
चालू कार्य*	**-**	-
;kx	**135,529,097**	**74,834,429**

*इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञता सलाहकार समिति की राय के आधार पर ग्राहक के बीजक में डाली गई रकम और संबंधित ''चालू संकर्म'' को तुलनपत्र में दर्शित नहीं किया जाना है। अतः वित्त वर्ष के अंत तक मान्यता प्राप्त किया गया चालू कार्य से अधिक कार्य ''जिसे ग्राहक के बीजक की रकम में डाला गया है'' को टिप्पण संख्या 2.16 में ''अन्य चालू आस्तियां'' के अधीन ''बीजक में नहीं डाला गया राजस्व'' में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर ''चालू संकर्म'' से अधिक ''ग्राहक के बीजक में डाली गई रकम'' से अधिक कार्य को टिप्पण संख्या' 2.6 में ''अन्य चालू दायित्व'' के अधीन ''संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व'' में उपदर्शित किया गया है।

fVIi.k l- 2-13

¼jde #i, e½

0;kikj olwyh;	2014&2015	2013&14
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत)		
निम्नलिखित के लिए प्राप्य व्यापार बकाया		
–छः मास से कम	**2,396,163,896**	2,154,059,937
–छः मास से अधिक	**274,200,047**	378,832,035
;kx	**2,670,363,943**	**2,532,891,972**

fVIi.k l- 2-14

¼jde #i, e½

udn vkSj cSad 'ks"k	2014&2015		2013&14	
udn ,oa udn d lerqY;				
हाथ में नकद		**137,811**		161,697
हाथ में चैक		**31,501**		14,700,000
अंतरण के अधीन जमा		**-**		247,076
बैंक में शेष				
– चालू खाते में	**122,580,396**		258,838,324	
– नियत जमा (3 मास की परिपक्वता तक)	**1,359,098,855**	**1,481,679,251**	601,245,914	860,084,238
vU; cSad 'ks"k				
नियत जमा (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)		**43,178,801**		56,767,128
नियत जमा (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ)		**514,676,520**		721,671,913
;kx		**2,039,703,884**		**1,653,632,052**

fVIi.k l- 2-15

¼jde #i, e½

y/kq vof/k _.k vkSj vfxze	2014&15		2013&14	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन)				
कार्य के लिए अग्रिम :				
– बीजी के विरूद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**1,892,973,139**		2,208,840,813	
– सामग्री के विरूद्ध प्राप्त किया गया	**318,809,031**		299,427,443	
– अन्य अग्रिम	**1,501,301,343**	**3,713,083,513**	1,600,678,920	4,108,947,176
प्राप्य आयकर		**417,201,374**		364,445,950
प्राप्य कार्य संविदा कर		**229,464**		229,464
अग्रिम विक्रय कर		**23,004**		23,004
अग्रिम सेवा कर		**933,948**		-
कर्मचारीवृद्ध ऋण एवं अग्रिम		**2,530,478**		2,615,976
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**730,057,183**		910,213,400
;kx		**4,864,058,964**		**5,386,474,970**

fVIi.k l- 2-16

¼jde #i, e½

vU; pkyw vkfLr;k	2014&15	2013&14
उद्भूत ब्याज किन्तु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**23,047,081**	39,899,041
पूर्व संदत्त व्यय	**51,872,718**	68,053,990
अन्य से वसूलनीय	**1,848,604,111**	5,592,472,156
बीजक में नहीं डाला गया राजस्व (नोट संख्या 2.12 के नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)	**3,958,461,015**	4,680,427,390
;kx	**5,881,984,925**	**10,380,852,577**

fVIi.k l- 2-17

¼jde #i, e½

çpkyuksa ls jktLo	2014&2015	2013&2014
किए गए कार्य का मूल्य	**10,295,463,454**	8,530,142,441
सलाहकारी फीस	**4,561,963**	13,056,560
अन्य प्रचालन आय	**12,795,969**	8,473,442
;kx	**10,312,821,386**	**8,551,672,443**

fVIi.k l- 2-18

¼jde #i, e½

vU; vk;	2014&2015		2013&2014	
fuEufyf[kr l vftr C;kt vk; %				
बैंक में जमा	**27,514,613**		54,746,309	
कर्मचारिवृंद अग्रिम	**358,650**		499,257	
अन्य (उप ठेकेदारों ग्राहक से)	**205,220,431**		206,591,202	
पूर्वावधि जमा आय	**-**	**233,093,694**	4,902,250	266,739,018
vU; xj çpkyu vk;				
खर्च नहीं किए गए दायित्व/बट्टे खाते में डाले गए शेष	**8,665,497**		12,456,880	
विनिमय विभिन्नता (लाभ)	**11,943,813**		47,123,102	
प्रकीर्ण आय	**25,223,759**	**45,833,069**	**27,080,575**	**86,660,557**
;kx		**278,926,763**		**353,399,575**

fVIi.k l- 2-19

¼jde #i, e½

çpkyu 0;;	2014&2015	2013&2014
सिविल, मैकेनिकल, विद्युत कार्य	**8,938,566,224**	7,479,851,001
डिजाइन एण्ड सलाहकारी प्रभार	**92,288,774**	58,144,885
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**130,522,326**	142,005,984
संदत्त दावे	**11,246,982**	8,840,184
स्वामित्व	**4,017,026**	5,520,850
परिनिर्धारित संदत्त नुकसान	**103,293**	74,104
पूर्वावधि प्रचालन व्यय	**(15,040,159)**	1,502,737
;kx	**9,161,704,466**	**7,695,939,745**

fVIi.k l- 2-20

¼jde #i, e½

deZpkjh ikfjJfed vkSj Qk;ns	2014&2015		2013&2014	
	iapkyu	iw'kkZlfud	iapkyu	iw'kkZlfud
वेतन एवं भत्ते	**233,886,904**	**323,128,166**	174,911,030	286,175,391
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**15,707,612**	**25,199,349**	13,194,715	23,839,476
चिकित्सा व्यय	**5,902,348**	**36,460,212**	3,222,894	50,618,225
राजभाषा व्यय	**-**	**472,038**	-	544,633
छुट्टी नकदीकरण	**-**	**25,309,925**	-	12,781,052
उपदान	**-**	**4,413,112**	-	385,606
कर्मचारी कल्याण व्यय	**9,237,297**	**9,688,257**	7,866,815	8,677,593
पूर्वावधि कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	**-**	**234,335**	-	484,781
;kx	**264,734,161**	**424,905,394**	199,195,454	383,506,757
dqy çpkyu ,oa ç'kklfud		**689,639,555**		**582,702,211**

fVIi.k l- 2-21

¼jde #i, e½

foÙkh; ykxr	2014&2015	2013&2014
निम्नलिखित को सदत्त ब्याज		
– बैंक	**29,193,746**	7,517,687
– अन्य	**41,421,461**	86,693,247
;kx	**70,615,207**	**94,210,934**

fVIi.k l- 2-22

¼jde #i, e½

vU; 0;;	2014&2015		2013&14	
	ipkyu	i'kklfud	ipkyu	i'kklfud
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**3,225,112**	**6,831,851**	2,813,897	6,792,009
दर और कर	**133,345**	**3,260,956**	40,470	3,486,763
डाक व्यय और दूरसंचार	**3,384,106**	**10,660,925**	2,301,294	5,591,953
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	**6,584,128**	**22,171,714**	3,939,008	21,600,188
मरम्मत एवं अनुरक्षण नियत आस्तियां	**26,024**	**248,336**	169,984	396,739
भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	**-**	**923,244**	5,825	2,426,938
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**2,069,111**	**11,587,311**	673,702	12,142,862
निविदा व्यय	**78,802**	**3,552,273**	139,978	4,682,055
विज्ञापन एवं प्रचार	**-**	**6,257,007**	7,500	9,204,687
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**4,351,368**	**30,028,775**	3,167,148	34,167,382
बीमा	**1,325,986**	**1,280,960**	83,341	1,176,979
मनोरंजन	**592,489**	**1,300,026**	451,145	1,283,954
बैंक प्रभार	**13,271,793**	**3,087,268**	13,976,579	4,445,368
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	**427,763**	**3,383,558**	337,240	3,351,742
जनशक्ति विकास	**-**	**1,112,427**	-	1,144,898
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	**-**	**3,967**	-	1,618
प्रायोजन फीस	**-**	**11,236**	2,300	1,790,450
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय	**35,953,489**	**38,926,227**	30,149,983	40,020,487
सीएसआर एवं भरणीयता	**-**	**1,625,173**	-	6,666,763
अनुसंधान एवं विकास	**-**	**-**	-	1,208,000
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	**-**	**2,271,346**	-	1,978,087
कारबार संवर्धन	**278,941**	**2,477,044**	259,169	2,218,727
कार्यालय भाड़ा	**5,008,497**	**3,777,302**	4,688,662	3,494,983
कम्प्यूटर व्यय	**76,061**	**3,916,631**	128,324	3,726,678
सदस्यता एवं अंशदान फीस	**1,000**	**1,372,267**	-	1,108,761
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	**91,183**	**22,767**	98,196	449,521
बट्टे खाते में डाली गई रकम	**75,483**	**3,346,377**	14,951,565	3,035,579
बट्टे खाते में डाली गई आस्तियां	**-**	**44,197**	-	85,143
प्रकीर्ण व्यय	**1,870,458**	**2,825,150**	1,817,213	3,253,262
पूर्वावधि अन्य व्यय	**(135,000)**	**2,761,000**	-	101,124
;kx	**78,690,138**	**169,067,315**	**80,202,523**	**181,033,700**
dy çpkyu ,oa ç'kklfud		**247,757,453**		**261,236,223**

यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 10,141,757 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8,931,816 रुपए) निदेशकों के यात्रा व्यय 5,915,517 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6,585,074 रुपए) शामिल हैं।

¼jde #i, e½

y[kkijh{kdk dk ikfjJfed	2014&2015	2013&14
लेखापरीक्षा फीस	**1,401,302**	1,383,452
कर लेखापरीक्षा	**313,614**	309,102
लागत लेखापरीक्षा	**56,430**	-
प्रमाणन फीस	**-**	-
अन्य व्यय	**500,000**	285,533
;kx	**2,271,346**	**1,978,087**

¼jde #i, e½

iwoZ vof/k lek;kstu ¼'kq)½	**2014-2015**		**2013-14**	
	ipkyu	i'kklfud	ipkyu	i'kklu
vk;				
प्रचालन आय	**-**	**-**	-	-
अन्य आय	**-**	**-**	4,902,250	-
?kVk,¡ 0;;				
प्रचालन व्यय	**(15,040,159)**	**-**	1,502,737	-
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	**-**	**234,335**	-	484,781
अन्य	**(135,000)**	**2,761,000**	-	101,124
;kx	**15,175,159**	**(2,995,335)**	**3,399,513**	**(585,905)**

fVIi.k l- 2-23

¼jde #i, e½

vkdfLEkd nkf;Ro		31.03.15 fLFkfr d vuqlkj	31.03.14 fLFkfr d vuqlkj
1	विधिक और मध्यस्थता की बाबत		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।	**4,633,276,434**	5,432,460,231
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।	**99,291,791**	161,091,791
2	ग्राहकों को जारी क्षतिपूर्ति बंद पत्रों के संबंध में	**11,000,000**	44,000,000
3	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में विक्रय कर/कार्य संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	**188,790,585**	**242,931,537**

पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिदावे है।

fVIi.k l- 2-24

पूंजी लेखे में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित रकम और जिसके लिए ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे 13,363,509 रुपए के लिए उपबंध नहीं किया गया है। (पूर्ववर्ती वर्ष 15,900,000 रुपए)।

fVIi.k l- 2-25

fons'kh eqæk esa vtZu %

¼jde #i, e½

Ø-l-	fof'kf"V;k	31-03-2015 dks lekIr o"kZ	31-03-2014 dks lekIr o"kZ
1	प्रचालन व्यय	**5,048,576,942**	3,018,581,351
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**41,430,584**	92,553
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**-**	-
4	नियत आस्तियों का क्रय	**820,684**	2,078,480
5	ç'kklfud ,oa vU; O;;		
क	यात्रा	**7,097,684**	8,115,419
ख	प्रशिक्षण व्यय	**-**	-
ग	निविदा व्यय	**1,582,732**	242,024
घ	अन्य	**44,879,424**	19,515,095
	;ksx	**5,144,388,049**	**3,048,624,922**

fons'kh eqæk esa vtZu %

¼jde #i, e½

Ø-l-	fooj.k	31-03-2015 dks lekIr o"kZ	31-03-2014 dks lekIr o"kZ
1	कार्य प्राप्तियां	**5,914,180,245**	3,408,527,663
2	ब्याज से आय	**5,312,459**	1,327,225
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	**11,943,813**	47,123,102
4	अन्य	**36,620**	8,983
	;ksx	**5,931,473,138**	**3,456,986,972**

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान ओमान एवं श्रीलंका से प्राप्त अधिक्य 825,549,625 रुपए जो 13,350,000 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 482,330,700 जो 79,80,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

fVIi.k l- 2-26

क) स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख जो नियत आस्तियों में 37,441,925 रुपए की लागत पर शामिल किया गया है (पूर्ववर्ती वर्ष 37,441,925 रुपए) कंपनी के नाम में निष्पादन के लिए लंबित है।

ख) कंपनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 6,092,895,671 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6,929,548,499 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा ली है ।

ग) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 43,178,801 रुपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष 56,767,128 रुपए)। के नियत जमा को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप में गिरवी रखा है जिसमें से 5,000,000 रुपए के नियत जमा जिसे ग्राहकों के पास प्रस्तुत किया गया है विवादाधीन है, मामला न्यायालय के अधीन है।

fVIi.k l- 2-27

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तद्नुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है :

çkjfHkd [kM lpuk ¼Hkkxksfyd½

¼jde #i, e½

fof'kf"V;k	31 ekp] 2015				31 ekp] 2015			
	?kjsy	vrjk"Vh;	vU; ¼vu&vkcfVr½	;kx	?kjsy	vrjk"Vh;	vU; ¼vu&vkcfVr½	;kx
dkjckj dh fdLe	lfuek.k				lfuek.k			
प्रचालनों से राजस्व	4,398,641,142	5,914,180,245	-	**10,312,821,386**	5,143,144,780	3,408,527,663	-	8,551,672,443
अन्य आय	228,869,407	17,292,893	32,764,464	**278,926,763**	238,175,768	48,459,309	66,764,497	353,399,574
कुल आय	4,627,510,549	5,931,473,138	32,764,464	**10,591,748,150**	5,381,320,548	3,456,986,972	66,764,497	8,905,072,017
ifj.kke								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	69,393,201	486,230,435	(62,976,962)	**492,646,675**	240,687,464	148,768,961	(24,262,586)	365,193,839
अवक्षयण	5,391,858	485,584	4,084,422	**9,961,864**	4,654,386	302,113	4,973,490	9,929,989
ब्याज	41,418,347	-	29,196,860	**70,615,207**	86,693,211	-	7,517,723	94,210,934
कर से पूर्व लाभ	22,582,997	485,744,852	(96,258,243)	**412,069,605**	149,339,867	148,466,848	(36,753,799)	261,052,916
कर व्यय	-	-	-	**141,207,541**	-	-	-	91,109,195
कर के पश्चात लाभ	22,582,997	485,744,852	(96,258,243)	**270,862,064**	149,339,867	148,466,848	(36,753,799)	169,943,721
vU; lpuk								
कुल आस्तियां	14,200,273,507	3,165,168,252	1,071,834,243	**18,437,276,002**	17,294,618,852	4,236,045,280	805,988,047	22,336,652,179
नियत आस्तियां (शुद्ध खंड)	33,407,630	2,077,693	59,763,657	**95,248,980**	32,243,698	1,742,593	58,275,500	92,261,790
कुल दायित्व	12,430,802,887	3,160,967,100	682,412,238	**16,274,182,225**	15,589,911,071	4,137,991,996	630,026,457	20,357,929,524
पूंजी व्यय नियत आस्तियों	6,791,624	820,684	5,833,049	**13,445,356**	23,408,454	2,078,480	13,379,533	38,866,466

fVIi.k l- 2-28

लेखांकन मानक 7, ''संनिर्माण संविदाएं'' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन :

¼jde #i, e½

Øe l-	fof'kf"V;k	31-03-2015 dh fLFkfr d vuqlkj	31-03-2015 dh fLFkfr d vuqlkj
1	प्रचालनों से राजस्व	**10,312,821,386**	8,551,672,443
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**55,547,810,810**	45,834,062,659
3	प्राप्त अग्रिम	**4,086,764,163**	4,488,485,821
4	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र रकम – जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**3,958,461,015**	4,680,427,390
5	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**858,963,871**	855,621,830
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**1,809,829,253**	1,643,900,601

fVIi.k l- 2-29

deZpkjh Qk;ns

कंपनी ने नीचे दिए अनुसार विभिन्न कर्मचारी फायदों को वर्गीकृत किया है :

क) भविष्य निधि में 38,380,779 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 34,254,382 रुपए) के अंशदान को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त निधि में वर्ष के लिए जिसे लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित किया गया है, 1,920,013 रुपए के ब्याज की कमी है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,714,476 रुपए)।

ख) कंपनी उपदान, दीर्घावधि प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा और दीर्घ सेवा प्रदान करने के लिए भी वास्तविक आधार पर परितोषिक का उपबंध करती है।

(i) ifjHkkf"kr Qk;nk ck/;rk esa ifjorZu

¼jde #i, esa½

fof'kf"V;k	minku	nh?kkof/k vuqdEik vuqifLFkfr	nh?kZ lsok iqjLdkj	lsokfuofÙk mijkar fpfdRlk Qk;nk
	¼foÙk iksf"kr½	¼foÙk iksf"kr ugha½	¼foÙk iksf"kr ugha½	¼foÙk iksf"kr ugha½
छूट की दर	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
	(9.15%)	(9.15%)	(9.15%)	(9.15%)
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीदति*	5.00%	5.00%	-	0.50%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर*	8.40%	-	-	-
सेवा निवृत्ति आयु *	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
सारणी*	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट पश्चात सेवानिवृत्ति एलआईसी (1996–98) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	-	-	-	₹ 46,060
	-	-	-	(₹ 49,155)
आयु*	कर्मचारी आवर्त (%)			
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	145,380,147	124,911,989	6,673,650	122,972,341
	(156,667,408)	(151,736,610)	(7,147,582)	(95,392,103)
चालू सेवा लागत	12,015,661	7,961,890	356,839	4,673,849
	(12,835,390)	(9,188,925)	(371,648)	(3,842,947)
ब्याज लागत	12,897,561	10,966,783	569,572	11,178,270
	(13,465,802)	(13,288,141)	(577,152)	(8,108,329)
बीमा (लाभ)/हानि	(8,434,638) ((15,875,957))	6,381,252 ((9,696,014))	289,810 (35,688)	8,405,230 (25,509,103)
बीमा समायोजन	- (450,690)	- -	- -	- -
संदत्त फायदा	(21,960,821) ((22,163,186))	(22,150,771) ((39,605,673))	(1,713,270) ((1,458,420))	(18,435,479) ((9,880,141))
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	139,897,910 (145,380,147)	128,071,143 (124,911,989)	6,176,600 (6,673,650)	128,794,211 (122,972,341)

* पूर्ववती वर्ष के समान

¼ii½ ;ktuk vkfLr;ka dk U;k;kfpr eY; ea ifjorlu ¼minku½

¼jde #i, e½

fof'kf"V;k	2014&15	2013&14
	¼foÙkikf"kr½	¼foÙkikf"kr½
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**144,994,542**	148,918,985
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**11,273,382**	12,018,934
बीमा अभिदाय	**385,605**	7,748,423
बीमा लाभ/(हानियां)	**792,090**	(1,979,305)
संदत्त फायदे	**(21,960,821)**	(22,163,186)
अर्जन समायोजन	**-**	450,690
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्यू	**135,484,798**	144,994,542

(iii½ rqyui= es ekU;rk nh xbZ jde

¼jde #i, e½

fof'kf"V;k	minku	nh?kkof/k vuqdEik vuqifLFkfr	nh?kZ lok iqjLdkj	lokfuofÙk mijkr fpfdRlk Qk;nk
	¼foÙkikf"kr½	¼foÙkikf"kr ugh½	¼foÙkikf"kr ugh½	¼foÙkikf"kr ugh½
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	139,897,910 (145,380,147)	128,071,143 (124,911,989)	6,176,600 (6,673,650)	128,794,211 (122,972,341)
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	135,484,798 (144,994,542)	- -	- -	- -
वित्तपोषित प्रस्थिति आस्तिक/(दायित्व)	(4,413,112) ((385,605))	(128,071,143) ((124,911,989))	(6,176,600) ((6,673,650))	(128,794,211) ((122,972,341))
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व)/आस्तियां	(4,413,112) ((385,605))	(128,071,143) ((124,911,989))	(6,176,600) ((6,673,650))	(128,794,211) ((122,972,341))

(iv½ ykHk vkj gkfu y[kk e ekU;rk fn, x, 0;;

¼jde #i, e½

fof'kf"V;k	minku	nh?kkof/k vuqdEik vuqifLFkfr	nh?kZ lok iqjLdkj	lokfuofÙk mijkr fpfdRlk Qk;nk
	¼foÙkikf"kr½	¼foÙkikf"kr ugh½	¼foÙkikf"kr ugh½	¼foÙkikf"kr ugh½
चालू सेवा लागत	12,015,661 (12,835,390)	7,961,890 (9,188,925)	356,839 (371,648)	4,673,849 (3,842,947)
ब्याज की लागत	12,897,561 (13,465,802)	10,966,783 (13,288,141)	569,572 (577,152)	11,178,270 (8,108,329)
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	11,273,382 ((12,018,934))	- -	- -	- -
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(9,226,728) ((13,896,653))	6,381,252 ((9,696,014))	289,810 (35,688)	8,405,230 (25,509,103)
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	4,413,112 (385,605)	25,309,925 (12,781,052)	1,216,220 (984,488)	24,257,349 (37,460379)

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है ( ).

fVIi.k l- 2-30

lcf/kr i{kdkj çdVu

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है –

i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था

श्री एस.पी.एस. बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त)

श्री के. एस. राव, निदेशक

fuEufyf[kr l0;gkj lcf/kr i{kdkjk d lkFk dkjckj d lk/kkj.k çØe e fd, x, Fk :

fof'kf"V;k	2014&15	2013&14
वेतन	**7,223,577**	6,059,148
भविष्य निधि में अंशदान	**667,512**	490,688
मकान किराया	**1,520,506**	1,182,856
चिकित्सा व्यय	**303,112**	44,821
बैठक फीस	**155,000**	160,000

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रति मास 1,000 किलोमीटर तक गैर–शासकीय यात्रा के लिए 2000 रुपए प्रति मास की दर से कंपनी की कार का उपयोग करना अनुज्ञात है। कंपनी के नियमानुसार उपदान और प्रतिकर अनुपस्थितियां भी संदेय हैं।

fVIi.k l- 2-31

31 मार्च की स्थिति के अनुसार संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

fof'kf"V;k	31 ekp 2015 dh fLFkfr d vuqlkj		31 ekp 2014 dh fLFkfr d vuqlkj	
	ek=k ¼eVh½	eY; ¼#i, e½	ek=k ¼eVh½	eY; ¼#i, e½
सीमेंट	570-92	3]066]497	410.15	2,338,790
इस्पात	2]212-21	104]757]172	1,595.51	72,495,639
इस्पात पाइप	93142-22 ¼vkj,eVh½	27]705]428	–.	–.

fVIi.k l- 2-32

रद्दकरणीय प्रचालन पट्टा के अधीन वर्ष के लिए पट्टा भाटक व्यय 8,785,799 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8,183,645 रुपए) है को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

fVIi.k l- 2-33

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम निकायों को देय रकम की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। इन पहचाने गए निकायों को वर्ष के दौरान किसी एक समय संदेय कोई रकम 45 दिन से अधिक के लिए देय नहीं थी।

fVIi.k l- 2-34

कंपनी भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के पत्र संख्या एफ सं. 16,(1)/2010–टीएसडब्ल्यू तारीख 10 जून, 2010 के द्वारा निदेश के अनुसरण में अविनिधान की प्रक्रिया में है। अविनिधान के लंबन के दौरान निम्नलिखित कार्रवाईयां पहले ही कर ली गई हैं :

1) कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन किया गया और कंपनी को 09.12.2010 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को पूरा किया गया;

2) विद्यमान 38.95 रुपए प्रत्येक मूल्य के कंपनी के साम्या शेयरों को 10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित करने को तारीख 30.09.2011 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पूरा कर लिया गया था ;

3) सभी शेयरों धारकों को उनके भौतिक शेयरों को डीमटिरियालाइज करने का विकल्प प्रदान किया गया था। तथापि, शेयरों को भौतिक रूप में धारण करना जारी रखा गया ; और

4) शेयरों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्तं करने के लिए ईपीआई के आकस्मिक दायित्वों में कमी करना।

fVIi.k l- 2-35

mic/kk e pkyu

¼jde #i, e½

fof'kf"V;k	vfr'k"k	o"k d nkjku fd;k x;k mic/k	o"k d nkjku lnRr @ lek;kftr	cê [kkr e Mky x, mic/k	bfr'k"k
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**(vi)=(ii+iii-iv-v)**
आय–कर	241,231,482	143,553,346	107,516,801	2,113,002	275,155,025
लाभांश	70,845,376	70,845,376	70,845,376	-	70,845,376
लाभांश कर	12,040,172	14,422,454	12,040,172	-	14,422,454
परियोजना आकस्मिकताएं	124,708,933	4,212,600	-	372,012	128,549,521
कर्मचारी फायदा	254,943,586	55,196,605	42,685,126	-	267,455,065
;kx	**703,769,548**	**288,230,381**	**233,087,474**	**2,485,014**	**756,427,441**
पूर्ववर्ती वर्ष	674,272,954	216,811,801	186,723,349	591,858	703,769,548

fVIi.k l- 2-36

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है।

fVIi.k l- 2-37

वर्ष के दौरान 01 अप्रैल, 2014 के प्रभाव से कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 को अंगीकार करने के लेखे आस्तियों के प्राक्ककलित उपयोगी जीवन में संशोधन किया है। नियम आस्तीयों के उपयोग जीवन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी ने आस्तियों के कैरिंग मूल्य में अवशेष मूल्य से पूर्णतया अवक्षयण वहां किया है जहां आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन का अवधारण 01 अप्रैल, 2014 को शून्य किया गया था और उसने आरक्षिति और अधिक्य के अधीन लाभ और हानि विवरण में प्रारंभिक अधिक्य शेष के विरूद्ध 436,619 रुपए की रकम का समायोजन किया है। नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए शेष नियत आस्तियों पर अवक्षयण प्रभार 1,881,889 रुपए से कम हुआ है और चालू वर्ष के लिए लाभ 1,881,889 रुपए से अधिक हुआ है।

fVIi.k l- 2-38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंध कंपनी को लागू होते हैं तद्नुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2,411,666 रुपए की रकम खर्च की है। वर्ष के दौरान सीएसआर के अधीन पूंजी आस्ति के संनिर्माण पर कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है।

fVIi.k l- 2-39

प्रति शेयर आधारित और कम अर्जन की संगणना कर के पश्चात 270,862,063 रुपए के शुद्ध फायदे (पूर्ववर्ती वर्ष 169,943,721 रुपए) को पूर्णतया सदत्त 10/–रुपए के साम्या शेयर के 35,422,688 रुपए से भाग देकर की गई है।

	2014-15	**2013-14**
प्रति शेयर आधारित और कम अर्जन (रुपए में)	**7.65**	4.80

fVIi.k l- 2-40

पूर्ववर्ती वर्ष की संख्याओं को पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप हो सकें।

—r funs'kd cksMZ dh fy, vkSj mldh vksj ls

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
¼lq/kk oh- ojnu½	¼,u- ds- 'kek½	¼, oh oh –".kku½	¼,l ih ,l cD'kh½
dEiuh lfpo	dk;Zdkjh funs'kd ¼foÙk½	funs'kd ¼foÙk½	v/;{k&lg&çca/k funs'kd

lR;Uæ tSu ,.M ,lksfl,V~l
pkVZMZ ,dkmUVsV
QeZ jftLVªhdj.k l- 012018 ,u

स्थान % नई दिल्ली
तारीख % 21 अगस्त, 2015

ह0/–
lh, vfuy tSu
Hkkxhnkj
lnL;rk la[;k 072783

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ ds v/khu 31 ekpZ 2015 dks lekIr gksus okys o"kZ ds fy;s bathfu;fjax çkstsDV~l ¼bafM;k½ fyfeVsM ds o"kZ 2014&15 ds ys[kkvksa ij Hkkjr ds egkys[kk fu;=d vkSj ijh{kd dh fVIif.k;kA

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त कानूनी निदेशक अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित संपरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन किया जाता है कि उनके द्वारा ऐसा तारीख 21 अगस्त 2015 की लेखापरीक्षा में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ओर से इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड, की 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के संचालित की है और यह मुख्यतः कानूनी लेखापरीक्षकों के प्रश्नों तक और कंपनी के कार्मिकों तक तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित थी।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया जो कानूनी लेखापरीक्षकों पर किसी टिप्पणी को उद्भूत करे या उसका अनुपूरक हो।

Hkkjr ds egkys[kk fu;=d vkSj ijh{kd vkSj mudh vksj ls

ह0/–
(foeyUæ iVo/kZu½
eq[; okf.kfT;d ys[kkijh{kk funs'kd
,oa insu lnL;] ys[kkijh{kk cksMZ&1]
ubZ fnYyh

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 सितम्बर, 2015

स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स सेंटर, बिलासपुर

त्रिपुरा विश्वविद्यालय – प्रशासनिक भवन

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

फोन नं : +91–11–24361666, फैक्स : +91–11–24363426

ई–मेल : epico@epi.gov.in वेबसाइट : www.epi.gov.in

Designed and Printed by Royal Press +91 93101 32888